खण्ड-418, अंक-5
गुरुवार, 4 वैशाख, शक संवत् 1919
(24 अप्रैल, 1997 ई0)

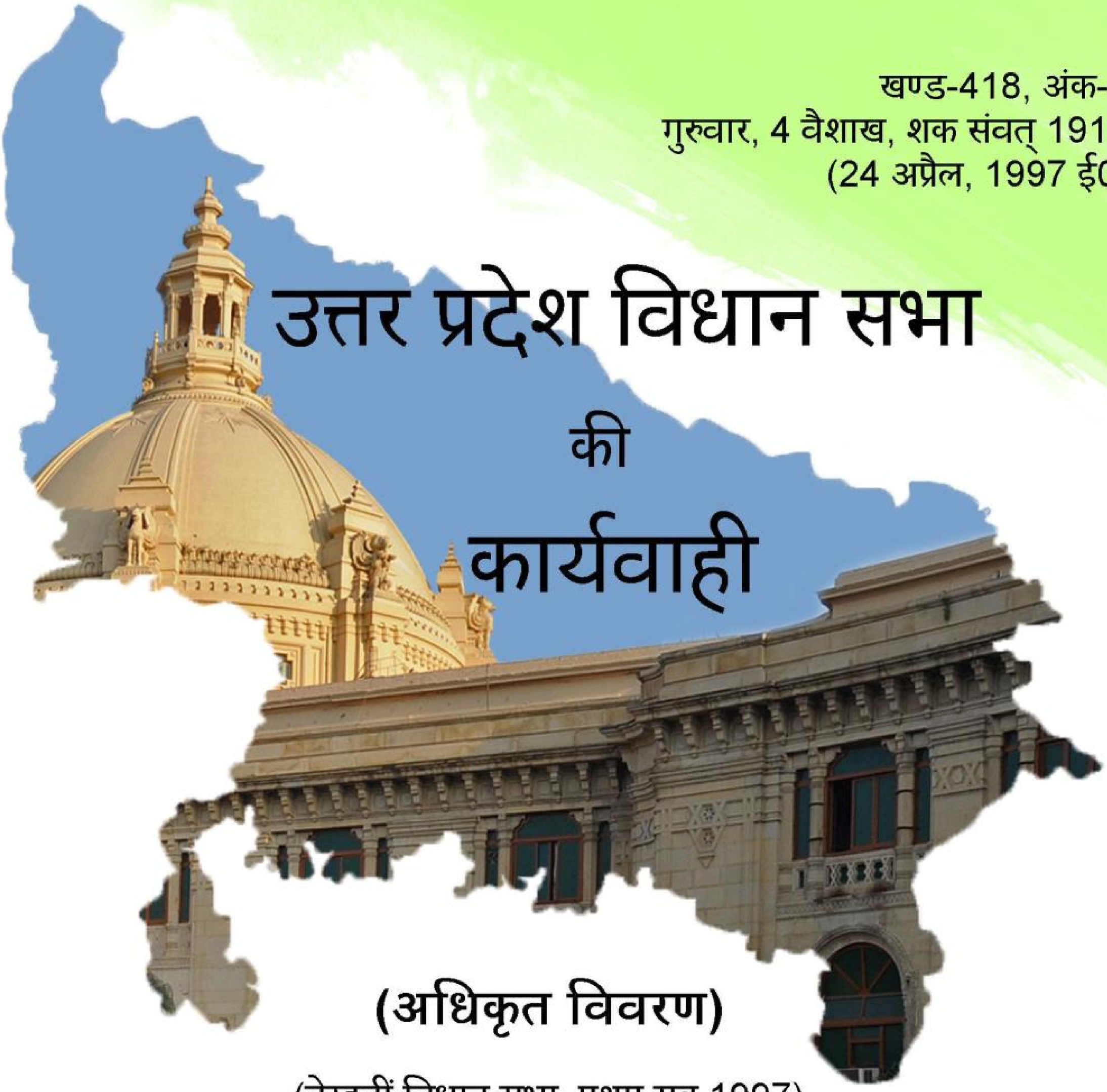

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1997)

खण्ड 418 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1997

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 21 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क
–नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1–2
प्रश्नोत्तर	3–8
–नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	8–9
–जनपद गोण्डा में मनकापुर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर लेपन कार्य कराये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	9
–आगरा के अधिकारियों द्वारा फर्जी सिल्ट सफाई एवं बाढ़ के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	9
–रुड़की विश्वविद्यालय में व्याप्त विसंगतियों के निराकरण की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	10
–मिर्जापुर में भटौली घाट के पीपे के पुल से पथकर पूर्णतया माफ किये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	10
–जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज से कृषि एवं आवासीय योजान्तर्गत सार्वजनिक भूमि के अवैध पट्टे किये जाने के संबंध में नियम –301 के अन्तर्गत सूचना	11
–थाना नबाबगंज की पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	11
–मेरठ जनपद के कतिपय गांवों में चकबन्दी कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	11
–जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र दादरी की अधिकांश भूमि नोएडा, ग्रेटर व एन० टी० पी० सी० द्वारा अधिग्रहीत किये जाने व किसानों को बहुत कम मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	12
जनपद देवरिया के ग्राम करोट्टिया में निर्माण कार्य के संबंध में थाना बरहज की पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	12
–जनपद महराजगंज के कतिपय गांवों में फर्जी विद्युतीकरण कराये जाने की जांच की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	12–13
–गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों के हड़ताली पटवारियों की मांगों को स्वीकार किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	13
–तहसील सदर जनपद गोरखपुर से सम्बद्ध कतिपय ग्रामों को तहसील फरेन्दा के अन्तर्गत किये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	13
–फिरोजाबाद में पेयजल संकट उत्पन्न होने तथा उसे दूर किये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	14
–ग्रामीण अभियंत्रण सेवा निदेशालय में निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता के रिक्त पद पर शीघ्र नियुक्त किये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	14–15

विषय	पृष्ठ संख्या
–जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम नगरियां कलां में अवैध कब्जे की भूमि को भूमिहीनों में वितरित किये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	15
–जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में डिग्री कालेज तथा जनपद मुख्यालय पर विधि कक्षायें प्रारम्भ किये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ..	15–16
–पशुपालन विभाग के अन्तर्गत अपील्स (निगम) में कार्यरत प्रबन्ध निदेशक डा० आर० पी० सिंह द्वारा धन का दुरुपयोग एवं घोटाला किये जाने की जांच के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	16
–जनपद कानपुर देहात के उपमुख्य चिकित्साधिकारी श्री एम० टी० ए० खान द्वारा धन का दुरुपयोग एवं धांधली किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	16
–जनपद बलिया के उभांव थानान्तर्गत जे० पी० मेडिकल स्टोर्स के ड्राइवर की पुलिस की सांठ-गांठ से हत्या किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	17
–जनपद मुरादाबाद के ऐतिहासिक नगर सम्भल को जनपद बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	17–18
–जनपद पीलीभीत के नेपाल से मिले पूरनपुर क्षेत्र में शारदा नदी की बाढ़ से खतरा उत्पन्न होने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	18
–जल निगम की निर्माण एजेन्सी सी० एण्ड डी० एस० से भ्रष्ट परियोजना प्रबन्धकों को हटाये जाने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	18
–प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	19
–अम्बेडकर नगर जिलान्तर्गत तहसील टाण्डा में हजारों एकड़ भूमि तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टांडा के जल रिसाव से जलमग्न होने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	19
–जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय गांवों में भीषण अग्निकाण्ड से नष्ट हुए परिवारों को सहायता दिये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	19–20
–जनपद बहराइच में क्षेत्र महसी के ग्राम बाहरपुर में नाव डूब जाने से मृत परिवारों को सहायता दिये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	20
–प्रदेश के कोल एवं मुसहर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	20–21
–जनपद हरदोई के सण्डीला तहसील के कतिपय गांवों में भीषण ओलावृष्टि से फसलों को नष्ट होने तथा सहायता की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	21

विषय	पृष्ठ संख्या
–गाजियाबाद में तहसील दादरी के अन्तर्गत कतिपय गांवों के किसानों की भूमि को मे० फार्मस इण्डिया लि० द्वारा फर्जी तरीके से बेचे जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	21
–जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के गांवों में भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	21
–प्रदेश के बी० एड०, एल० टी० और बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सेवा में लिये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	22
–जनपद अम्बेडकर नगर की विद्युत आपूर्ति सीधे टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा से किये जाने की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	22
–जनपद देहरादून की तहसील चकराता के ग्राम क्यावा के समीप चौलीयात (रामताल गर्डन) में शहीदों की स्मृति में उनकी मूर्ति की स्थापना एवं स्थल का सौन्दर्यीकरण किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	22–23
––जनपद देवरिया के अन्तर्गत पकहा फीडर तथा विशुनपुरा फीडर को जाने वाले 11 हजार की लाइन का कार्य पूर्ण न किये जाने तथा अवर अभियन्ता द्वारा लाखों का घोटाला किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	23
–ध्वनि विस्तारक यंत्र के खराब होने की सूचना के संबंध में जानकारी (जारी)	24
–जनपद गोण्डा के उतरौला क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों के निर्माण मरम्मत एवं पुल निर्माण की मांग के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	24–25
–ध्वनि विस्तारक यंत्र के खराब होने की सूचना के संबंध में जानकारी ...	25
–औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ...	26
–उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के लिये विधायक निधि के गठन की मांग के संबंध में औचित्य का प्रश्न	26–32
–विधान सभा द्वारा राज्य प्लान और जिला प्लान के व्यय के लिये स्वीकृत धन को समय से उपलब्ध कराये जाने की मांग के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	32–33
–विभिन्न सूचनाओं के संबंध में जानकारी ...	33–34
–कार्यमंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)...	34–35
–विधायक निधि की स्थापना की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा आज ही सदन में किये जाने की मांग	35–39
–उत्तरांचल नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	39–44
–सदन में संयम, सहिष्णुता एवं संसदीय परम्पराओं के निर्वहन हेतु श्री अध्यक्ष का निर्देश	39–44
–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) ...	45
–सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले कतिपय सदस्यों के तीन उपवेशनों के लिये निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)... ...	45–47

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

वृहस्पतिवार, दिनांक 24 अप्रैल, 1997

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय राय, श्री	वाराणसी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमीर आलम खान, श्री	मुजफ्फरनगर
अम्मार रिजवी, डा०	सीतापुर
अशफाक अहमद, श्री	बरेली
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
*आलमबदी, श्री	आजमगढ़
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कवर पाल सिंह मास्टर, श्री	सहारनपुर
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
छोटे सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया	गोरखपुर
तिलकराज बेहड़, श्री	उधम सिंह नगर
देवेन्द्र सिंह यादव, कुंवर	एटा
धर्मज्ञ मिश्र, श्री	हरदोई
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
पीटर फैन्थम नाम निर्देशित सदस्य	लखनऊ
बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री	सीतापुर
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
रवीन्द्र कुमार पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा०	कानपुर नगर
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
राम हर्ष सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
रूप चौधरी, श्री	मेरठ
*वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
शिव गणेश लोधी, एडवोकेट	रायबरेली
शिव पूजन राम, श्री	वाराणसी
श्रीराम, श्री	जालौन
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बरेली
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली

*श्री आलमबदी तथा वसीम अहमद ने विधान सभा की सदस्यता का शपथ अभी नहीं ग्रहण किया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 24 अप्रैल, 1997

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(मद संख्या–1 पुकारे जाने पर)

श्री प्रमोद कुमार, जगदम्बिका पाल, श्री अवधेश प्रसाद, श्री शिवपाल यादव, तथा श्री अफजाल अंसारी द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास

(समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 के अन्तर्गत जो सूचनायें आयी हैं, उनको मैं प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद, नियम 301 व 300 की सूचनाओं के बाद लूंगा । कृपया आप लोग स्थान ग्रहण कीजिये ।

(नत्थी 'क' अल्पसूचित ता० प्रश्न सं०–1 का उत्तर पढ़े जाने पर)

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री अफजाल अंसारी, श्री रामतेज यादव, श्री अवधेश प्रसाद, श्री राम किशोर यादव, श्री पारस नाथ यादव, श्री अम्बिका चौधरी श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री गोपाल कृष्ण तथा श्री योगेन्द्र सिह सदन के फ्लोर पर आकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे और नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया स्थान ग्रहण करें ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

| × × × |

श्री अध्यक्ष–

कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

| × × × |

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य सदन के फ्लोर से नारे लगाते रहे जिससे व्यवधान बना रहा)

इससे विपक्ष के सदस्यों का ही नुकसान होगा कि वह प्रश्नकाल को नहीं चलने दे रहे हैं । मेरा माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह है कि वह अपने माननीय सदस्यों को स्थान ग्रहण करने को कहें । कोई भी नारा लिखा नहीं जायेगा ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

मान्यवर, हम लोग आपका संरक्षण चाहते हैं ।

नोट – [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे कोई दिक्कत नहीं है । आप लोग सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते हैं । इससे आप लोगों की ही हानि होगी । आप लोग महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में बोल नहीं पायेंगे ।

(वेल में आये हुए विरोध पक्ष के कुछ सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठ गये तथा कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर जायं, कृपया आप अपने स्थान पर जायं ।

(घोर व्यवधान)

मैं नेता विरोधी दल से अनुरोध करूंगा कि वे अपने माननीय सदस्यों से कहें कि वह अपने-अपने स्थान पर जायं ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

इस तरह से संरक्षण नहीं मिलता है संरक्षण को प्राप्त करने का रास्ता दूसरा है । आपकी कोई चीज लिखी नहीं जा रही है ।

[× × ×]

(नारे लगाने एवं एक साथ बोलने से सदन में व्यवधान बना रहा ।)

आप अपने संतोष के लिए जो चाहें नारे बाजी कर लें और चाहे जो कुछ कहें । कुछ लिखा नहीं जा रहा है । मैं इस तरह के माहौल में कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं ।

नियम 300 और 301 की सूचना के बाद मैं इसको लूंगा । मैंने पहले ही कह दिया है आप बैठे हैं तो बैठें ।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव

(फ्लोर से) [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ नहीं सुन रहा हूं ।

मैं सदन को 12.20 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

नोट – [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने विषयक योजना का प्रस्ताव

**1–श्री जगदम्बिका पाल, श्री मित्रसेन यादव, श्री रामजग तथा श्री रूप चौधरी–

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को चिन्हित किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इससे पूरे प्रदेश में कितने परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री एजाज रिजवी)–

जी हां ।

भारत सरकार द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को आधे मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है ।

भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान का कार्य कराया जा रहा है और भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 95.48 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

पाठ्य पुस्तकों की बढ़ती कीमतों पर सरकार का नियंत्रण

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या पाठ्य पुस्तकों की बढ़ती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुए उनके मूल्यों पर नियंत्रण हेतु सरकार कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र शुक्ल)–

जी हां ।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

[तीसरे बुधवार में ता० प्र० सं० 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजस्व विभाग, वाराणसी में अरबों रुपये के घोटाले का मामला

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी में हुए अरबों रुपये के जमीन घोटाले का पर्दाफाश प्रशासनिक जांच द्वारा उजागर हुआ है ? क्या उक्त के संबंध में कोई जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 1996 में प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

नोटः–* उ० प्र० विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत समस्त प्रश्न उत्तरित माने गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजस्व मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही)

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*3–श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[2सरे बुधवार में ता० प्र० सं० 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*4–श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राजेश अग्रवाल, श्री शिव सिंह चक तथा डा० सरजीत सिंह डंग–

[2सरे बुधवार में ता० प्र० सं० 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

आगरा मण्डल विकास निगम में श्री लेखराज सिंह, लेखाधिकारी की छटनी का मामला

1–श्री विजय पाल सिंह–

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लेखराज सिंह, लेखाधिकारी, आगरा मण्डल विकास निगम की छंटनी दिनांक 8-1-94 को कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या इनका समायोजन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इन्हें कब तक समायोजित कर दिया जायेगा ? क्या यह सही है कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा दो बार दिनांक 3-5-95 व दिनांक 3-6-96 को मा० उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 24-9-92 के क्रम में तीन माह में समायोजित किये जाने एवं वेतन दिये जाने के आदेश पारित किये थे ? यदि हां, तो क्या इन आदेशों का पालन हुआ ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम प्रसाद चौधरी)–

जी हां ।

जी नहीं ।

इनके समायोजन का प्रयास पूर्ण नहीं हो सका ।

इनके समायोजन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 23-5-95 व 3-6-96 को छटनीशुदा कर्मचारियों को तत्काल समायोजित किये जाने के आदेश पारित किये गये थे ।

इन आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है और अब तक मण्डलीय विकास निगमों के 694 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 601 का समायोजन कर लिया गया है तथा असमायोजित 93 अधिकारियों/ कर्मचारियों के समायोजन का प्रयास किया जा रहा है । दिनांक 23-5-95 के आदेश द्वारा यह निर्देश भी जारी किये गये हैं कि जब तक मण्डलीय विकास निगमों के कर्मचारियों का समायोजन नहीं हो जाता है, तब तक कोई नई नियुक्ति न की जाय ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर, मंत्री यू० पी० एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीयल सर्विस एसोसियेशन के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

2—श्री तेजभान सिंह–

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, जनपद सुल्तानपुर, संयुक्त/अपर निदेशक (कृषि), लखनऊ को सम्बोधित तथा प्रश्नकर्ता को पृष्ठांकित मंत्री यू० पी० एग्रीकल्चर

डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीयल सर्विस एसोसियेशन, जनपद सुल्तानपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-2-97 जिसमें उप कृषि निदेशक (प्रसार) सुल्तानपुर के विरुद्ध गम्भीर अनियमितताओं की शिकायत है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करा कर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दकी)–

जी हां ।

जी हां ।

जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

3—श्री छब्बू पटेल–

[दूसरे बुधवार में अता० प्र० सं० 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के एक कर्मचारी के विरुद्ध एक मा० सदस्य का फर्जी शिकायती पत्र तथा सेवा समाप्ति का मामला

4–श्री विश्वनाथ–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के एक कर्मचारी के विरुद्ध एक विधायक के नाम से की गयी शिकायत की जांच के आदेश तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व० श्री वीर बहादुर सिंह जी द्वारा दिनांक 2 मई, 1988 को पारित किये गये थे ? क्या यह सही है कि जांच में कथित शिकायत के फर्जी पाये जाने के बाद भी उक्त कर्मचारी को मुख्य मंत्री के उपरोक्त आदेशानुसार उसी स्थान पर पद स्थापित करने के बजाय पूर्व कृषि निदेशक द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 1992 को उसकी सेवा समाप्ति का अवैध आदेश पारित किये जाने के प्रकरण को लेकर विगत दिनांक 14 जुलाई, 1995 को उसे कृषि निदेशक के पद से हटाया गया ? उक्त सेवा समाप्ति के अवैध आदेश को निरस्त कर प्रभावित कर्मचारी को सेवा में वापस लेते हुए तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा आदेशित स्थान पर प्रतिष्ठित करने के संबंध में क्या सरकार शीघ्र कोई निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां ।

जी नहीं । निदेशक के पद पर नियमित चयन में पात्रता क्षेत्र में न आने के कारण पूर्व कृषि निदेशक को हटाया गया था न कि उल्लिखित किसी आरोप/शिकायत के आधार पर ।

जी नहीं । प्रभावित कर्मचारी (श्री मोती लाल, लेखाकार) निरन्तर 5 वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित था । अतएव उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए उसकी सेवायें वित्तीय हस्तपुस्तिका के भाग 2-4 के मूल नियम 18 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार समाप्त की गयी हैं । अस्तु उसे सेवा में प्रतिष्ठित किये जाने का कोई प्रश्न नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

5—श्री श्याम देव राय चौधरी–

[2सरे सोमवार में अता० प्र० सं० 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नेहरू बाल एवं युवा कल्याण शिक्षा परिषद् नामक स्मारिका में छपे भ्रामक चित्रों पर आपत्ति

6—श्री शेर बहादुर सिंह तथा श्री मस्तराम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 16-11-96 को पूर्व विधायक श्री प्रियदर्शी जेतली द्वारा शासन को एक पत्र दिनांक 14-11-94 को नेहरू बाल एवं युवा कल्याण शिक्षा परिषद् नामक एक स्मारिका में छापे गये दो भ्रामक चित्रों के संबंध में साक्ष्य के साथ लिखा गया था ? यदि हां, तो संबंधित पत्र व प्रमाण-पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त पत्र में क्या आरोप हैं और उसकी जांच के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति एवं खेलकूद मंत्री (श्री मारकण्डेय चन्द)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डिग्री कालेज, फतेहपुर, तहसील बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ में निर्माणाधीन ग्रामीण स्टेडियम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में की गई शिकायत

7—श्री शेर बहादुर सिंह तथा श्री मस्तराम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 20-11-96 को श्री प्रियदर्शी जेतली पूर्व विधायक व श्री शेर बहादुर सिंह विधायक अम्बेडकर नगर ने जनपद की आलापुर तहसील के संबंध में एक आवश्यक प्रमाण के साथ डिग्री कालेज, फतेहपुर, तहसील बूढ़नपुर, जनपद आजमगढ़ में निर्माणाधीन ग्रामीण स्टेडियम में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में शासन को लिखा था ? यदि हां, तो संबंधित पत्र को सदन के पटल पर रखते हुए सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मारकण्डेय चन्द–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में तहसील स्तरीय बनी मण्डियों के भवनों को पूरा किये जाने के संबंध में जानकारी

8—श्री बाबूराम यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में तहसील स्तरीय मण्डियों के कितने भवन निर्मित हो चुके हैं और कितने निर्मित होने शेष हैं ? क्या अवशेष भवनों का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने का लक्ष्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

तहसील/जनपद स्तरीय 263 मण्डियों में से 182 मण्डियों का निर्माण कार्य पूरा कराया जा चुका है । 81 मण्डी स्थल का निर्माण कार्य अवशेष है ।

जी नहीं । 18 मण्डियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है इसके अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में 16 मण्डियों के निर्माण का लक्ष्य है ।

भूमि की अनुपलब्धता तथा वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी अवशेष भवनों/मण्डी स्थलों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

9—श्री बाबूराम यादव–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के कृषकों के लिए प्रदेश में मण्डी भवन की स्थापना की गयी है? इस भवन के निर्माणार्थ कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी थी ? बाद में इसकी लागत कितनी बढ़ाई गई? प्रदेश में सामान्य कृषकों को इस भवन से क्या लाभ हैं ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जी हां, राज्य के कृषकों के हित के लिए राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद्, लखनऊ में किसान मण्डी भवन की स्थापना की गयी है।

उक्त भवन के निर्माण हेतु रु० 13.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की गई थी। बाद में परिवर्तन/संवर्धन के फलस्वरूप इसकी कुल लागत रु० 41.63 करोड़ हो गयी है।

मण्डी भवन में प्रदेश स्तरीय मुख्यालय की स्थापना करके कृषकों के हित के लिये संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों/योजनाओं के मूल्यांकन, नियंत्रण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। किसान मण्डी भवन में कृषकों की जानकारी हेतु अधौतल में कृषि प्रदर्शनी हाल निर्माणाधीन हैं, जिससे वे भविष्य में लाभ उठा सकेंगे।

जनपद फैजाबाद में ग्राम पूरा उर्फ सुमेरपुर, तह० बीकापुर की श्रीमती शिवनाथा देवी पत्नी स्व० श्री राम भरोसे की वरासत को खारिज किये जाने की शिकायत

10—श्री विश्वनाथ–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के प्रथम गुरुवार, दिनांक 20-7-95 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–28 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मृतक रामराजी बेवा स्व० राम स्वरूप के विधिक वारिस (पुत्रियां) कौन-कौन है ? क्या भू-लेख निरीक्षक (एल० आर० आई०–1) ने दिनांक 20-12-88 को मृतक रामराजी के स्थान पर खाता सं०–485 एवं 488 पर वारिसान के नाम बतौर वारिस दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी दिनांक 30-12-90 को अपर तहसीलदार बीकापुर द्वारा पारित आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

11–श्री विश्वनाथ–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के प्रथम गुरुवार दिनांक 20-7-95 के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०–28 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूलेख निरीक्षक मृतक रामराजी के स्थान पर विधिक वारिसान का नाम उसकी सम्पत्ति (खाता) पर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने के लिए प्राधिकृत/सक्षम थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुपालन में अमल दरामद कितने दिनों के भीतर हो जानी चाहिए और उक्त आदेश की अमल दरामद करने न करने के लिए कौन-कौन राजस्व कर्मी उत्तरदायी हैं ? उक्त भूलेख-निरीक्षक ने उक्त आदेश किस प्राधिकार/अधिकार के तहत किया था ? दोषी भूलेख निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मऊ, तहसील घोसी के ग्राम ककराडीह में मत्स्य विभाग द्वारा बनाये गये मछुआ आवासों के आवंटन का मामला

12–श्री सुधाकर–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ की तहसील घोसी क ग्राम ककराडीह मे मत्स्य विभाग द्वारा मछुआ आवास बनाने हेतु मछुआ सदस्यों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो उक्त आवास किसके द्वारा बनाये गये ? क्या वह आवास बन गये हैं ? यदि हां, तो वह अब तक चयनित मछुआरों को आवंटित क्यों नहीं किये गये ? सरकार उन्हें कब तक आवंटित कर देगी ?

दुग्ध विकास एवं पशुधन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुन्दर सिंह बघेल)–

जी हां ।

प्रश्नगत आवास जिला पंचायत मऊ द्वारा बनाये गये हैं ।

जी हां ।

प्रश्नगत आवास चयनित मछुवारों को आवंटित किये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी सहारनपुर के कार्यालय का स्थानान्तरण देहरादून किये जाने का औचित्य

13—श्री संजय गर्ग–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक (निर्माण) मण्डी सहारनपुर का कार्यालय 1993 में देहरादून स्थानान्तरित करने का आधार क्या था ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी–

जनपद सहारनपुर में स्थापित उप निदेशक (निर्माण) कार्यालय द्वारा जनपद सहारनपुर एवं देहरादून के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के निर्माण/विकास कार्यों को भी देखा जाता था । ऐसी स्थिति में पर्वतीय क्षेत्रों के विकास एवं यहां के निर्माण कार्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रभावकारी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से उपनिदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद् सहारनपुर का कार्यालय देहरादून में स्थानान्तरित किया गया है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 301 की सूचनाओं को ले रहा हूं । आज दिनांक 24 अप्रैल, 1997 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 40 सूचनायें प्राप्त हुई । इनमें से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी– सामान्यतः इन सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाता है.....

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, 311 ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

वे तो बात हो गयी है, 301, 300 के बाद ले लेंगे ।

श्री धनी राम वर्मा–

301 के बाद ले लें, 311 का मामला कब से लम्बित है ।

श्री अध्यक्ष–

301 की सूचनाओं को लेता हूं। अगर आप चाहेंगे कि पढ़ी हुई मान ली जायें तो पढ़ी हुई मान ली जायेंगी और कोई नये माननीय सदस्य उसे पढ़ना चाहते हैं तो उसे पढ़ लें।

जनपद गोण्डा में मनकापुर क्षेत्र के विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर लेपर कार्य कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम विशुन आजाद–

महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जहां बहुत ऐसे सम्पर्क मार्ग हैं जिनका निर्माण कार्य हुए कई वर्ष हो गये हैं लेपन न होने से मार्गों पर पड़े पत्थर उखड़ कर ऊपर आ चुके हैं और मार्गों की सारी पटरियां क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। जिसमें आवागमन बाधित हो रहा है सतह लेपन कार्य करवाने हेतु कई बार रोजा मार्ग, चिरैया चौक घाट मार्ग, छपिया गोनहा मार्ग, परसा मंडप मार्ग,, मसकनवां तेंनुआ रानीपुर मार्ग, मसकनवा सोहिला मार्ग, शीतलगंज पावर खास मार्ग, मसकनवा सिकन्दरपुर मिसिंग मार्ग, रामापुर झिलाही मार्ग आदि मार्गों पर बरसात के पहले तत्काल न करवाया गया तो सम्पर्क मार्ग बन्द हो जायगा। जबकि बहुत से मार्ग अम्बेडकर ग्रामों से भी जुड़े हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जनहित में राज्य सेक्टर योजना में शीघ्र ही उक्त मार्गों पर धन आवंटन करके शीघ्र ही लेपन करवाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

आगरा के अधिकारियों द्वारा फर्जी सिल्ट सफाई एवं बाढ़ के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री सरदार सिंह–

। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सम्मानित सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मांट ब्रांच नहर, अपर आगरा नहर एवं लोवर आगरा कैनाल, आगरा के अधिकारियों ने फर्जी सिल्ट सफाई एवं बाढ़ को रोकने के नाम से सरकारी धन का आहरण कर बड़े पैमान पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। अतिवृष्टि के कारण राजस्थान एवं हरियाणा के पानी ने जनपद आगरा एवं मथुरा में तबाही मचा दी। गोवर्द्धन नाला इस तबाही को नहीं रोक पाया। स्थान-स्थान पर नाले की पटरियां टूट गयीं। मथुरा जनपद की छाता व मथुरा तहसील व आगरा जनपद की फतेहपुर सीकरी तहसील इस पानी से भयंकर रूप से प्रभावित हुई और अनेक ग्राम तबाह हो गये। अधिकारियों ने फर्जी बन्धा बनाने के नाम पर लाखों रुपये का आहरण कर लिया। सांतरक गांव पर लगभग 75 लाख रुपये का फर्जी भुगतान किया गया। इसी प्रकार मांट ब्रांच के अधिकारियों ने सिल्ट सफाई के नाम पर राजवाह आयराखेड़ा मुरसान जावरा। दौलतपुर माइनर, नौहझील बांध पानीग्राम बांध आदि पर फर्जी कार्य दिखाकर धन का आहरण बड़े पैमाने पर किया गया है। शासन से शिकायत कर दी गयी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें और संबंधित राजवाहों, माइनरों एवं नालों की सिल्ट सफाई सुनिश्चित करें।।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रुड़की विश्वविद्यालय में व्याप्त विसंगतियों के निराकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अतिमहत्वपूर्ण लोकहित की सूचना लाना चाहता हूं। प्रदेश के गौरव रुड़की विश्वविद्यालय में इस समय शैक्षिक माहौल अध्यापकों में व्यापक कुंठा के कारण अत्यन्त प्रभावित हो रहा है।

शासन की नीतियों के तहत शिक्षकों को दिया जाने वाला वेतनमान जो कि अन्य विश्वविद्यालयों के समकक्ष ही हो तथा यू०जी० सी०/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मियों में भयंकर आक्रोश व्याप्त है।

विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मी 15 अप्रैल से क्रमिक अनशन पर चल रहे हैं तथा 23 अप्रैल से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विश्वविद्यालय में व्याप्त विसंगतियों का समय रहते निराकरण कराने हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।

मीर्जापुर में भटौली घाट के पीपे के पुल से पथकर पूर्णतया माफ किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम चन्द्र मौर्य–

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मझवां मीर्जापुर में भटौली घाट पर पीपे के पुल पर अन्यायपूर्ण महसूल वसूले जाने से जनता में गहरा असंतोष है। उक्त पीपे के पुल का ठेका दबंग लोगों के पास है। नियमतः उक्त ठेके की नीलामी प्रति वर्ष होनी चाहिए। किन्तु खेद की बात है कि उक्त ठेका गलत ढंग से कई वर्ष से एक ही ठेकेदार के हवाले कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उक्त ठेकेदार द्वारा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों से पैदल चलने पर भी टैक्स वसूला जाता है। यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चों का तथा गोद में लिये बच्चों के लिये रुपये वसूले जाते हैं। साइकिल, मोटर साइकिल किसानों के ट्रैक्टर मोटरकार आदि पर लगे शुल्क अन्यायपूर्ण हैं। उदाहरण के लिये स्कूटर आदि पर 10 रुपये, जीप पर 25 रुपये, ट्रैक्टर से 40 रुपये लिये जाते हैं। ऊंट, बैल के अलग और उस पर लदे बोझ के अलग पैसे लिये जाते हैं। प्रतिदिन गरीब किसानों, मजदूरों द्वारा इसका विरोध किया जाता है, दबंग लोगों द्वारा उनकी पिटाई और धमकियों की भी घटनायें हो रही हैं। यह असंतोष किसी भी दिन भायनक रूप ले सकता है।

मा० अध्यक्ष महोदय, इस सूचना के माध्यम से मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि उक्त पीपे के पुल से पथ कर पूर्णतया माफ किया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज से कृषि एवं आवासीय योजनान्तर्गत सार्वजनिक भूमि के अवैध पट्टे किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री तोफीक अहमद–

[महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज के अन्तर्गत कृषि एवं आवासीय योजना के अन्तर्गत तमाम ऐसी जमीनें जो सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत आती हैं जैसे–खलिहान, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, धार्मिक स्थल के साथ ही साथ ऐसी भी जमीनें जो रोड साइड और कामर्शियल उपयोग की हैं की नवईयत को बदलकर अधिकारियों ने पैसा लेकर फर्जी पट्टा कर दिया है । जिसके कारण से सही और पात्र व्यक्तियों में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्वपूर्ण प्रकरण पर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए विषयगत सम्पूर्ण प्रकरण की जांच 1995 से अब तक कराये जाने एवं दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने एवं उक्त योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में किन-किन लोगों को पट्टा दिया गया है की जांच की मांग करता हूं ।]

थाना नवाबगंज की पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विक्रमाजीत मौर्य–

[महोदय, पिछले दिनों थाना नवाबगंज की पुलिस वाले शर्मा व पटेल पुलिस नशे में धुत होकर बुदौना के लौह रान का पुरवा निवासी दुखी भारतीय व श्रीमती आशा भारतीय से 500-500 रुपया लेकर लिया और इसी दिन बुदौना अम्बेडकरनगर में रात में पहुंच कर भरपूर अत्याचार किया जो भी मिला औरत बच्चे मिले घर में घुसकर मारा और जब राम किशोर भारतीय को जबरन ले जाने लगे तो गांव के लोग पूछने लगे तो वे लोग चौराहे पर इसे मारना शुरू कर दिया । इसके इस हरकत को देखकर गांव वाले इकट्ठा हो गये, ईंट पत्थर चलाने लगे तब पुलिस वाले डरकर भाग निकले । शराब के नशे में भागने से गिरने पर इन्हें चोटें भी आयीं इसके पहले यही पुलिस के लोग इस राम किशोर से जबरन 2000 रुपया लिया था इससे जब पुलिस को संतोष नहीं हुआ तो पूरे थाने की पुलिस तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित रात में अम्बेडकर गांव में पहुंच कर चार भारतीय लोगों का घर फूंक दिया और गांव के लोगों को जबरन फर्जी बड़े संगीन अपराध में फंसा दिया है । पुलिस के इस घृणित कार्य से लोगों में असन्तोष व्याप्त है और लोग गांव छोड़कर भाग गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन है कि इस मामले को शासन के संज्ञान में लाकर पुलिस के खिलाफ धारा 436 का मुकदमा कायम करने व फर्जी फंसाये जाने का मुकदमा खत्म करने का कष्ट करें ।]

मेरठ जनपद के कतिपय गांवों में चकबन्दी कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री समर पाल सिंह–

[मान्यवर, मेरठ जनपद के दाहा, दोघट, टीकरी निरपुड़ा, बामनौली, रन्छोड़ सिरसलगढ़ व मवीकला आदि गांवों में विभागीय लापरवाही के कारण विगत अनेक वर्षों से चकबन्दी का कार्य लम्बित है । उपरोक्त गांव में लगभग 12–13 वर्षों से पूर्व चकबन्दी का काम शुरू हो गया था और यह काम अभी तक अधूरा पड़ा है चकबन्दी अधर में लटकी होने के कारण एक तरफ किसानों को आर्थिक नुकसान व असुविधा हो रही है दूसरी तरफ इस क्षेत्र की विकास योजनायें भी वर्षों से रुकी पड़ी हैं । बहुत खेद की बात है किसानों व जन प्रतिनिधियों द्वारा अनेकों बार मांग करने के बावजूद सरकार किसानों की इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है । मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए इस समस्या का यथाशीघ्र समाधान तथा सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र दादरी की अधिकांश भूमि नोएडा ग्रेटर नोयडा व एन० टी० पी० सी० द्वारा अधिग्रहीत किये जाने व किसानों को बहुत कम मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नवाब सिंह नागर–

महोदय, जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र दादरी की अधिकांश भूमि नोयडा, ग्रेटर नोयडा व एन० टी० पी० सी० द्वारा अधिग्रहीत की जा रही है जिसका मुआवजा भी कृषकों को बहुत कम दिया जा रहा है जबकि नोयडा विकास प्राधिकरण द्वारा उसी भूमि को कम से कम 1800/- रुपये, 2400/- रुपये व 4500/- रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वहां के किसानों व औद्योगिक प्रतिष्ठान के मालिकों को आवंटित की जा रही है। साथ ही कृषकों की भूमि को अधिग्रहीत करते समय गांव की आबादी को भी नजरअंदाज कर दिया गया है जो वहां की ग्रामीण जनता के साथ अन्याय है।

अतः अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य पर न दिये जाने, अधिग्रहीत की गयी भूमि का 10 प्रतिशत गांव वासियों की आबादी हेतु न छोड़े जाने, बेरोजगार युवकों को प्राधिकरण में प्राथमिकता न दिये जाने से स्थानीय जनता में शासन के प्रति असुरक्षा, रोष की भावना व्याप्त है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद देवरिया के ग्राम करोहिया में निर्माण कार्य के संबंध में थाना बरहज की पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

महोदय, जनपद देवरिया के ग्राम विशुनपुरा के चकिया टोला निवासी श्री राम दयाल यादव की जमीन ग्राम करोहिया में है जिस पर निर्माण कार्य करा रहे थे। अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्तियों द्वारा इस निर्माण कार्य को रोके जाने पर विवाद हो गया। यह खबर थानाध्यक्ष बरहज के पास पहुंची। दिनांक 15/16 अप्रैल, 1997 की रात को थानाध्यक्ष बरहज अपने पुलिस कर्मियों के साथ शासन को खुश करने के लिये गांव पहुंचे। घरों में सो रही महिलाओं, बच्चों और पुरुषों को बुरी तरह पीटा महिलाओं के साथ अभद्रता एवं छेड़छाड़ की और जेवरात एवं नगदी भी लूटे तथा उन्होंने उक्त परिवार के 32 लोगों के अतिरिक्त अन्य 500 व्यक्तियों को फर्जी अनुसूचित जाति उत्पीड़न की धारा में अभियुक्त भी बना दिया। इस पुलिस कृत्य से पूरे क्षेत्र की जनता में भय तथा आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत शासन से वक्तव्य की मांग करता हूं।

जनपद महराजगंज के कतिपय गांवों में फर्जी विद्युतीकरण कराये जाने की जांच की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्द्र किशोर–

महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद महराजगंज जो घोर तराई के अंचल एवं जंगल के किनारे तथा नैपाल सीमा पर स्थित है। यह एक अत्यन्त पिछड़ा जिला है लेकिन दुर्भाग्य से शासन द्वारा अभी तक पिछड़ा जिला घोषित नहीं किया गया है जिसके कारण अभी तक महराजगंज जनपद को मात्र 8 घंटे बिजली की प्राप्ति हो पाती है एवं पानी की सप्लाई भी सुदृढ़ रूप से इस कारण नहीं हो पाती है क्योंकि बिजली की सप्लाई ठीक से नहीं होती है। जनपद में बहुत सारे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गांव विद्युत विभाग द्वारा विद्युतीकरण घोषित कर दिये हैं परन्तु उन गांवों में आज तक बिजली के खम्भे एवं तार नहीं पहुंचे हैं जनप्रतिनिधि द्वारा बार-बार मांग करने पर विद्युत मंत्री द्वारा कागजी रिपोर्ट पाकर सदन में सुना दिया जाता है जो सत्यता से परे हैं।

अतएव मैं मा० अध्यक्ष जी के माध्यम से उ० प्र० शासन से मांग करता हूं कि जिन गांवों को कागज में विद्युतीकरण दिखाया गया है वास्तव में नहीं हुआ है उसकी एक जिले स्तर की कमेटी गठित कर जांच करायी जाय और वहां विद्युतीकरण सुनिश्चित कराया जाय तथा साथ ही साथ जनपद महराजगंज को पिछड़ा जिला घोषित करते हुए विद्युत कटौती से मुक्त किया जाय।

गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डलों के हड़ताली पटवारियों की मांगों को स्वीकार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भारत सिंह रावत–

। माननीय महोदय, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डलों में हजारों पटवारियों/लेखपाल के कार्यों के अलावा राजस्व पुलिस का भी कार्य करते हैं। विगत 14 माह से राजस्व पुलिस कर्मियों के बहिष्कार से पर्वतीय क्षेत्र में प्रशासन लुंज-पुंज हो गया है। कानून व्यवस्था ठप्प पड़ गयी है। असामाजिक तत्वो का राज बना हुआ है। पटवारियों की हड़ताल का मुख्य कारण शासन द्वारा बार-बार उनके संघ की न्यायोचित मांगों को स्वीकार किये जाने पर भी लागू नहीं करना है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश व आयुक्त, गढ़वाल व कुमायूं मण्डल के बार-बार आश्वासन देने पर भी पटवारी संघ के साथ हुए समझौते को मूल रूप में स्वीकार न किया जाना कहां तक उचित है ?

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार को पटवारियों की मांगों को स्वीकृत कराने हेतु निर्देश देने की कृपा करें। ।

तहसील सदर, जनपद गोरखपुर से सम्बद्ध कतिपय ग्रामों को तहसील फरेन्दा के अन्तर्गत किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद मणि–

महोदय, मैं नियम 301 में निम्नलिखित विषय की सूचना देना चाहता हूं.....वर्ष 1989 में गोरखपुर जनपद से अलग हुए महराजगंज जनपद के सृजन के समय प्रशासनिक अदूरदर्शिता के फलस्वरूप गलत परिसीमन के कारण तहसील फरेन्दा के 130 ग्राम आज भी तहसील सदर जनपद गोरखपुर से सम्बद्ध हैं जिसके कारण लगभग दो लाख लोग अपने दैनिक कार्य मुकदमें, जाति एवं आय प्रमाण पत्र इन्तखाब आदि के लिये प्रायः 5 से 10 कि०मी० फरेन्दा तहसील मुख्यालय के बजाय 50 से 60 कि०मी० सदर तहसील गोरखपुर जाने हेतु मजबूर हैं। इस निमित्त दोनों जनपद के जिलाधिकारियों व मंडलायुक्त गोरखपुर की संयुक्त संस्तुति सहित दिनांक 13-1-90 से शासन में लम्बित है। अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ताकि शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट–। । यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फिरोजाबाद में पेयजल संकट उत्पन्न होने तथा उसे दूर किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[महोदय, माननीय सदन अवगत है कि जल निगम ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसतन पानी की न्यूनतम आवश्यकता 200 लीटर (दो सौ लीटर) की है। फिरोजाबाद नगर की आज आबादी 4 लाख व्यक्तियों की है इस प्रकार जल निगम के अनुसार फिरोजाबाद नगर के नागरिकों की न्यूनतम पीने के पानी की आवश्यकता 80,00,000 (अस्सी लाख) लीटर की है।

पानी पीने के लिये नलकूप से पाइप लाइन और हैण्ड पम्प ही एक मात्र जल स्रोत है। वर्तमान में इस आबादी को पानी पिलाने को केवल 10-12 नलकूप ही चालू रह पाते हैं जिनकी क्षमता कुल 10 लाख लीटर पानी उपलब्ध कराने की रह गई। इस तरह स्पष्ट है कि 70 लाख लीटर पानी की प्रति दिन की कमी ही नागरिकों में आक्रोश पैदा कर रही है आये दिन पानी के प्रश्न पर अधिकारियों के घिराव होते रहते हैं और सरकार के प्रति आक्रोश पैदा हो रहा है।

हैण्ड पम्पों की हालत है कि वह 70 प्रतिशत सूखे पड़े हैं बन्द पड़े हैं। भूगर्भ जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है फिरोजाबाद में पेयजल का घोर संकट पैदा हो गया है। ग्रीष्म काल में तो जलस्तर के गिरते रहने पर पानी मिलना दूभर हो जायेगा।

अस्तु 10 नये नलकूप गहरे छिद्रण के तत्काल बनाये जाने की परम आवश्यकता है तथा 4 ओवर हेड टैंक नये बने। सम्पूर्ण जर्जर पुरानी पाइप लाइन बदली जाय और नई बड़ी पाइप लाइन पड़े तथा जिन करीब 20 मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं है और हैण्ड पम्प भी नहीं हैं वहां पर ओवर हेड टैंक बनाकर पाइप लाइन बिछाकर पानी दिया जाये जैसे रामनगर के 5 बड़े नगर के मोहल्ले आदि। कम से कम तत्काल राहत में नगर की आवश्यकता को 200 हैण्ड पम्प प्रदान कर लगाये जाये।

मानीनय अध्यक्ष से अनुरोध है कि पेयजल की इस महती समस्या के तुरन्त हल के लिये सरकार को निर्देश देने की कृपा करेंगे।]

(श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे)

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा निदेशालय में निदेशक एवं मुख्य अभियंता के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने की मांग के संबंध मे नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राजाराम पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से शासन का विशेषकर माननीया मुख्य मंत्री जी का ध्यान उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में गरीबों, दलितों एवं किसानों की सुविधा खुशहाली के लिये सम्पर्क मार्गों का निर्माण एवं अन्य सुविधाओं को संपादित करने वाला विभाग ग्रामीण अभियंत्रण सेवा निदेशालय में निदेशक एवं मुख्य अभियंता का पद महीनों से रिक्त होने के कारण सभी निर्माण कार्य ठप पड़ गये हैं और विकास की गति रुक गयी है। विभागाध्यक्ष के अभाव में मुख्यालय से लेकर समस्त जिला प्रखण्ड इकाइयों के कार्यालय वीरान से पड़े हैं। दलितों, गरीबों तथा किसानों की

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई समस्या सुनने वाला नहीं है और कार्यालयों में स्टाफ भी उपलब्ध नहीं रहता । इस प्रकार से नई सरकार के प्रति जनमानस की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है ।

अस्तु मेरा माननीया मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जनहित में ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें विभाग में निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पद पर किसी ईमानदार एवं कर्मठ अधिकारी की नियुक्ति करके जनहित के कार्यों में गति लाने की कृपा करें ।

जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम नगरियाकलां में अवैध कब्जे की भूमि को भूमिहीनों में वितरित किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द राम–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन की संज्ञान में एक महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूं कि जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम नगरिया कलां में गांव समाज की हजारों बीघा जमीन भू-माफियों के कब्जे में वर्षों से चली आ रही है जिसमें वर्ष में लाखों रुपये की फसल पैदा होती है । उक्त जमीन पर वास्तविक पट्टेदारों, हरिजनों व दलितों को आज तक कब्जा नहीं दिया गया है और वे मारे-मारे घूम रहे हैं और भुखमरी के शिकार हैं । इस कारण क्षेत्र एवं आस-पास के जनमानस में आक्रोश व्याप्त है । अतः मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त भूमि भू-माफियों से छोड़ा कर उसे भूमिहीन पट्टेदारों को दिलाया जाय एवं अवशिष्ट भूमि अन्य भूमिहीनों में बांटी जाय जिससे क्षेत्र की जनता में व्याप्त कुंठा एवं आक्रोश समाप्त हो ।]

जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में डिग्री कालेज तथा जनपद मुख्यालय पर विधि कक्षायें प्रारम्भ किये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अम्बरीष कुमार–

महोदय उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय स्थापित करने में उदारतापूर्वक स्वीकृति प्रदान करने की शासन की नीति के अनुरूप जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर में डिग्री कालेज तथा जनपद मुख्यालय पर विधि कक्षायें प्रारम्भ कराने की अत्यन्त आवश्यकता है ।

हरिद्वार जनपद की लक्सर तहसील में 3 इण्टर कालेज हैं, परन्तु कोई भी महाविद्यालय नहीं है और छात्रों को 35 कि०मी० दूर हरिद्वार अथवा 25 कि०मी० रुड़की जाना पड़ता है । छात्राओं को इसमें अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है । रुड़की और हरिद्वार में जो महाविद्यालय हैं उसमें नगरों में स्थित इण्टरमीडिएट कालेज के छात्रों को भी प्रवेश में कठिनाई होती है । यह ग्रामीण जनता के साथ अन्याय है । महाविद्यालय हेतु भूमि किसान इण्टर कालेज, लक्सर की प्रबन्ध समिति प्रदान करने हेतु तैयार है तथा तत्काल कक्षायें प्रारम्भ करने पर अपने भवन को भी देने को तैयार है । अतएव अविलम्ब लकसर में महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु शासन समुचित कार्यवाही करें । मा० मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में घोषणा भी की थी ।

जनपद हरिद्वार का सृजन 28 दिसम्बर, 1988 को हुआ था । अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के इस नगर में तीन डिग्री कालेज तथा 2डिग्री कालेज रुड़की नगर में होने के बावजूद भी जनपद मुख्यालय पर विधि

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कक्षाओं की कोई व्यवस्था नहीं है । और छात्रों को 60 कि० मी० देहरादून अथवा 70 कि०मी० सहारनपुर जाना पड़ता है तथा संख्याकालीन कक्षाओं के कारण जाने आने का साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है ।

अतः शासन जुलाई, 97 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षा सत्र में विधि कक्षाएं प्रारम्भ कराने हेतु समुचित कार्यवाही करें ।

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत अपील्स (निगम) में कार्यरत प्रबन्ध निदेशक डा० आर० पी० सिंह द्वारा धन का दुरुपयोग एवं घोटाला किये जाने की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामतेज यादव–

महोदय, डा० आर० पी० सिंह वर्तमान में प्रबन्ध निदेशक के पद पर पशुपालन विभाग के अन्तर्गत अपील्स (निगम) में कार्यरत हैं इसके साथ ही ये यू० पी० पोल्ट्री एण्ड लाईव स्टाक स्पेसलिटीज लि० के प्रबन्ध निदेशक के कार्य देख रहे थे जिसका कार्यकाल काफी दिन पूर्व में समाप्त हो गया है परन्तु उसके बाद भी ये गलत तरीके से काफी धन का गोलमाल किये हैं जो इनके निजी सम्पत्ति से वसूल की जानी चाहिये । और यह पता लगाया जाय कि इनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ है और उसके बाद कितना धन अन्य मदों में व्यय किये हैं ।

वर्तमान समय में श्री सिंह अपील्स में प्रबन्ध निदेशक के पद पर तैनात हैं जिनके विरुद्ध कई धारायें सी० जी०एम० लखनऊ के यहां पर विचाराधीन हैं और उक्त न्यायालय के आदेश के बावजूद इनको बार-बार अपील्स का प्रबन्ध निदेशक क्यों बनाया जा रहा है । इनके विरुद्ध काफी शिकायतें शासन स्तर पर लम्बित हैं और जांच रिपोर्ट में दोषी भी पाये गये हैं ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं ।

जनपद कानपुर देहात के उप मुख्य चिकित्साधिकारी श्री एम० टी० ए० खान द्वारा धन का दुरुपयोग एवं धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दल बहादुर कोरी–

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद कानपुर देहात के उपमुख्य चिकित्साधिकारी श्री एम० टी० ए० खान के निरन्तर 20 वर्षों से कानपुर में ही बने रहने तथा अपने कार्यकाल में सरकारी धन की खुली धज्जियां उड़ाने तथा व्यापक रूप से धन का दुरुपयोग जैसे आई० पी० पी०–6, फर्जी टी० ए० बिल अपने अधीनस्थ चिकित्साधिकारियों को पी० एच० सी० पर न आने के बदले माहवारी लेते हैं तथा सरकारी जीप का खुला दुरुपयोग करते हैं । खान द्वारा अपने कार्यकाल में सरकारी धन का अत्यधिक खुला दुरुपयोग किया गया है । जिसकी क्षेत्रीय जनता की अत्यधिक शिकायतें उच्च स्तरीय भेजी गयी हैं । जो अभी भी लम्बित हैं । अपने पद पर रहने के कारण प्रभावित कर रहे हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः मैं चाहूंगा कि महोदय ऐसे लोक महत्व के प्रश्न को देखते हुए तत्काल श्री एम० टी० ए० खान का स्थानान्तरण पहाड़ी क्षेत्र में तथा इनकी विधिवत सरकारी धन की जांच तकनीकी एजेन्सी से करायी जाय तथा इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।]

(श्री उबैदुर्रहमान का नाम पुकारे जाने पर वह अनुपस्थित थे)

जनपद बलिया के उभांव थानान्तर्गत जे० पी० मेडिकल स्टोर्स के ड्राइवर की पुलिस की सांठ-गांठ से हत्या किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अम्बिका चौधरी–

महोदय, बलिया जनपद के उभांव थानान्तर्गत गत 9-10 अप्रैल, 97 की रात्रि में जे० पी० मेडिकल स्टोर्स के ड्राइवर महातम की हत्या के बाद पुलिस के सहयोग से हत्यारों ने उसकी लाश उसके गांव सद्दोपुर से ले जाकर एक ऊंचे पेड़ पर लटका दिया ।

यह अपनी बेवा मां, विकलांग पत्नी, एक कुंवारी बहन, और दस माह की एक अबोध बच्ची का अकेला पालनहार था । महातम की हत्या जे० पी० मेडिकल स्टोर्स के मालिकान ने पुलिस की सह पर सिर्फ इसलिये कर दिया कि उसने दवा की पेटियों में हीरोइन, हशीश, मारफीन, ब्राउन शुगर की तस्करी किये जाने के काले धन्धे में आगे शामिल होने से इन्कार कर दिया था । हत्या से एक दिन पूर्व 8 अप्रैल,, को जे० पी० मेडिकल स्टोर्स के मालिकान द्वारा बुरी तरह पीटे जाने के बाद उसे पुनः सीयर चौकी में पीटा गया और फिर धारा 211/109 सी० आर० पी० सी० का फर्जी मुकदमा बनाकर अपराध संख्या 148/97 में उसे थाना उभांव लाकर बन्द कर दिया गया । थाने से थोड़ी ही दूर पर मृतक का घर होने के बावजूद घरवालों को कोई सूचना नहीं दी गयी । उसकी जमानत का नाटक करके पुनः उसका अपहरण करके रात्रि में पीट-पीट कर मार डाला गया और सबूत छुपाने के लिये उसकी लाश का पोस्टमार्टम पुलिस के घेरे में रात को 10-30 बजे कराया गया और उसकी लाश भी घर वालों को न सौंप कर पुलिस के घेरे में ही जला दी गयी । जनता के दबाव पर किसी प्रकार उसकी हत्या का मुकदमा अ० सं० 150/97 पर थाना उभांव में दर्ज किया गया ।

ऐसी स्थिति में पूरे जनपद में भय तथा आक्रोश और पुलिस के प्रति घोरतम अविश्वास का वातावरण बना हुआ है । अपराधियों द्वारा आतंक फैलाया जा रहा है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में नियम 301 के अन्तर्गत चर्चा करायी जाय ।

जनपद मुरादाबाद के ऐतिहासिक नगर सम्भल को जनपद बनाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री इकबाल महमूद–

महोदय, मुरादाबाद जनपद के ऐतिहासिक नगर सम्भल जो तहसील मुख्यालय की है, को जनपद बनाये जाने की मांग सम्भल की जनता विगत 20 वर्षों से भी अधिक समय से कर रही है ।

विगत वर्षों में उ० प्र० सरकार ने सम्भल को जिला बनाने की तैयारियां भी आरम्भ कर दी थी, जिसके तहत सम्भल में अपर-जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कार्यरत हैं तथा अपर जिला जज का पद भी सृजित किया जा चुका है ।

राजस्व परिषद् द्वारा सम्भल को जिला बनाने के संबंध में सर्वेक्षण भी कराया जा चुका है, जिसकी अनुकूल रिपोर्ट परिषद् ने शासन को दे दी है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परन्तु शासन ने सम्भल को जिला न बनाकर मुरादाबाद जनपद को विभाजित कर ज्योतिवा फूले नगर नामक एक नये जिले का सृजन किया है, जिसका मुख्यालय अमरोहा होगा।

शासन के इस कृत्य से सम्भल तथा आसपास के क्षेत्रों की जनता में व्यापक असंतोष व रोष व्याप्त है तथा मुरादाबाद जनपद की सम्भल, हसनपुर, चन्दौसी तहसीलों व बदायूं जिले की गुन्नौर तहसील को मिलाकर एक नया जनपद सृजित करने की मांग को लेकर सभी वर्गों व समुदाय के लोगों द्वारा आन्दोलन किये जा रहे हैं, कुछ आन्दोलनकारियों ने आत्मदाह करने की धमकी भी दी है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि सम्भल को जनपद बनाये जाने संबंधी आन्दोलन के उग्र व विस्फोटक होने से पूर्व ही सम्भल को जनपद बनाकर क्षेत्र की जनता के रोष को शान्त किया जाये तथा इस लोक महत्व के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने की कृपा करें।

जनपद पीलीभीत के नेपाल से मिले पूरनपुर क्षेत्र में शारदा नदी की बाढ़ से खतरा उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपाल कृष्ण–

महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर से मिला हुआ नेपाल राष्ट्र है उन्होंने विगत वर्षों में भारत नेपाल सीमा पर तूदा नं० 28 के० एम० पर अपनी सारी नदियों का पानी नाला बनाकर शारदा में डाल दिया है और सीमा में 1 कि०मी० हटाकर दीवार बना दी है। परिणामस्वरूप शारदा नदी का पानी भयावह रूप में मेरे क्षेत्र के किसानों की लाखों एकड़ जमीन व आवास काट रही है लाखों जानवर व ट्रैक्टर बह गये परन्तु शासन की ओर से अभी तक जबकि बरसात सर पर है जनमानस की बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्षेत्र में संत बाबा ज्ञान सिंह के लोग कार सेवा के द्वारा ठोकरें बनाना चाहते हैं तथा शारदा पार के नागरिक भी कारसेवा करना चाहते हैं उन्हें भी अनुमति नहीं दी जा रही है यदि अभी से कोई बाढ़ रोकने के लिये ठोकरें नहीं बनाई गई तो नौजवहा गभिया सराय रामनगरा तथा शारदा पार का पूरा इलाका बह जायेगा।

कृपया अविलम्ब बाढ़ को रोकने के लिये ठोकरें एवं भूमिहीन आवासहीन लोगों को मुआवजा तथा आवास और कृषि भूमि आवंटित की जाय।

जल निगम की निर्माण एजेन्सी सी० एण्ड डी० एस० से भ्रष्ट परियोजना प्रबन्धकों को हटाये जाने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अजय कुमार पोइया–

महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लाना चाहता हूं।

जल निगम की निर्माण एजेन्सी सी० एण्ड डी० एस० का गठन करते समय यह निर्णय लिया गया था कि सी० एण्ड डी० एस० में उत्कृष्ट एवं अच्छी चरित्र पंजिकाओं वाले ही अभियन्ताओं को तैनात किया जायेगा और उन अभियन्ताओं को सी० एण्ड डी० एस० में तैनात नहीं किया जायेगा जिनके विरुद्ध शिकायतें शिकायत सेल में लम्बित हैं अथवा वे दण्डित किये जा चुके हैं। परन्तु सी० एण्ड डी० एस० के अधिकारियों ने अपने चहेते भ्रष्ट अभियन्ताओं को नियमों के विरुद्ध सी० एण्ड डी० एस० में परियोजना प्रबन्धक के पद पर तैनात किया है जिनके विरुद्ध बहुत सी शिकायतें, शिकायत सेल में लम्बित हैं तथा कई बार उनके दण्डित भी किया जा चुका है। ऐसे भ्रष्ट परियोजना प्रबन्धकों के बारे में अधिकारियों की जानकारी होने के बावजूद सी० एण्ड डी० एस० से हटाने के बजाय संरक्षण दिया जा रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं शासन से मांग करता हूं कि जल निगम की निर्माण ऐजेन्सी सी० एण्ड डी० एस० से भ्रष्ट परियोजना प्रबन्धकों को तत्काल हटाया जाय तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिशंकर तिवारी–

[महोदय, 2 नवम्बर, 1991 को निर्गत अध्यादेश संख्या 43 में गठित समिति जिसने विनियमितीकरण किया था, की मनमानी के कारण प्रदे के लगभग 650 अशासकीय महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षक विनियमितीकरण होने से वंचित हो गये हैं। उनके समक्ष सेवा में विनियमित न होने के कारण एक यक्ष प्रश्न उपस्थित हो गया है।

उक्त अध्यादेश के तहत गठित समिति की मनमानी सार्वजनिक रूप से उजागर हो तथा मनमानी करने वाले दण्डित हों और सुयोग्य अभ्यर्थी विनियमित किये जायें, इसके लिये इस सार्वजनिक हित के मामले को सदन में उठाया जाना आवश्यक है। इस बिन्दु पर विस्तृत चर्चा उठाये जाने की मांग करूंगा।

कृपया माननीय अध्यक्ष की सहमति प्राप्त करने का कष्ट करें ताकि मैं वर्तमान सत्र में इस मामले को उठा सकूं। यदि कोई उत्तर नहीं दिया जाता है तो मैं 25 तारीख (अप्रैल) को ही उठाने के लिये बाध्य हूंगा।]

अम्बेडकर नगर जिलान्तर्गत तहसील टाण्डा में हजारों एकड़ भूमि तापीय शक्ति परियोजना विद्युतनगर टांडा के जल रिसाव से जलमग्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लालजी वर्मा–

[महोदय, ग्राम खनौढ़ा, फतेहपुर, विहरा परगना व तहसील टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर के हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन, ऐटाबन्ध टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युतनगर टाण्डा के जल रिसाव द्वारा जलमग्न रहती है, जिसके कारण उक्त ग्रामों के अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा अन्य कृषकों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अस्तु लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग करता हूं कि उक्त जल रिसाव की समस्या के समाधान हेतु पक्का नाला बनवाने एवं जल भराव से प्रभावित कृषकों को उनकी फसल की क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय गांवों में भीषण अग्निकाण्ड से नष्ट हुए परिवारों को सहायता दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र नाथ सिंह–

[महोदय, प्रतापगढ़ जनपद में भीषण अग्निकाण्ड में ग्राम सभा पूरे मुस्तफा में 24 घर, नौबस्ता गांव में 9 घर, भगवंतगंज गांव में 2 घर भगेसरा ग्राम में एक किसान का खलिहान जल करके पूर्ण रूप से स्वाहा हो गया।

इस अग्निकाण्ड से प्रभावित सभी व्यक्ति निर्धन, गरीबी की रेखा से नीचे पिछड़ी जाति के एवं अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति के हैं।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इनका घर एवं खलिहान 100 % जला है प्रतापगढ़ जनपद में इतना बड़ा अग्निकाण्ड नहीं हुआ किसी के पास एक कपड़ा नहीं बचा है एक दाना नहीं बचा है।

अतः यह एक गम्भीर लोक महत्व का विषय है सदन के माध्यम से व्यवस्था की मांग करता हूं कि अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति के गरीबों को तत्काल 25 हजार रुपया एवं एक आवास दिलाया जाय क्योंकि इनके पास न तो रहने को घर है न ही पहनने को कपड़ा बचा है और न ही खाने को दाना यदि इन्हें पर्याप्त सहायता नहीं दिया गया तो ये सब भुखमरी के कारण अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं।

अतः सदन के द्वारा मांग किया जाता है कि इन परिवारों की रक्षा की जाय और तत्काल इन्हें एक एक आवास एवं 25 हजार रुपया प्रति परिवार सहायता दी जाय।]

जनपद बहराइच के क्षेत्र महसी के ग्राम बाहरपुर में नाव डूब जाने से मृत परिवारों को सहायता दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दिलीप कुमार–

महोदय, बहराइच मेरे क्षेत्र महसी लोग के अन्तर्गत 15-4-97 को चैत्रराम नवमी के दिन ग्राम बाहरपुर के गरीब लोग घाघरा घाट के उस पार अपनी निजी नाव से मौनी बाबा के मेले में जा रहे थे नाव पर 14 लोग सवार थे घाघरा नदी के बीच में पहुंचने पर तूफान आ गया जिससे नाव डूब गई जिसमें 9 लोग डूब कर मर गये और 5 लोग तैरकर बाहर आ गये। जिसमें एक ही परिवार के 8 लोग थे जिनकी मृत्यु हो गयी तथा एक नौजवान दूसरे परिवार का था मरने वालों में 3 औरतें 3 बच्चे व 2 लड़के थे व एक लड़की थी जिसमें जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं दी गई है जिससे पूरा परिवार दुखी है। मानवता और इन्सानियत के नाते शासन से सहायता मिलनी चाहिये।

अतः आपके माध्यम से अनुरोध है कि शासन से सहायता दिलाने की कृपा करें।

प्रदेश के कोल एवं मुसहर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम कृपाल–

महोदय, उत्तर प्रदेश में पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के इलाहाबाद, मिर्जापुर,सोनभद्र, वाराणसी, बांदा, झांसी, हमीरपुर, जालौन आदि कई जिलों में कोल एवं मुसहर जाति के लाखों लोग आबाद हैं। इन्हें अभी तक उ० प्र० की जातियों की सूची में अनुसूचित का दर्जा प्राप्त है। जबकि इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना जरूरी है।

कोल एवं मुसहर जाति की भारी आबादी उपरोक्त जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों में ही आबाद है। जो वहां के मूल निवासी है। छुटपुट ढंग से विभिन्न जिलों के मैदानी इलाकों में भी कुछ लोग आबाद हैं। कोल एवं मुसहर जाति आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से अति पिछड़ी एवं दलित उत्पीड़ित है। आबादी के पचास साल बाद भी विकास से कोसों दूर हैं तथा अनुसूचित जाति की नाम मात्र की सुविधायें भी इन्हें हासिल नहीं हो पायी हैं। इनके रहन-सहन खान पान परम्परायें आदि भी अन्य लोगों से काफी भिन्न हैं। मुसहर जाति के लोगों को तो घर मकान बनाने के लिए जमीन के छोटे टुकड़े भी नहीं है।

मुसहर एवं कोल जाति का विकास अनुसूचित जनजाति में शामिल करके ही सम्भव है। हमारे प्रदेश के सटे मध्य प्रदेश तथा त्रिपुरा, राजस्थान आदि में इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी प्राप्त है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी इस सूचना को 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर इस पर चर्चा करायी जाये तथा कोल एवं मुसहर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर उनके साथ न्याय किया जाय।

जनपद हरदोई के सण्डीला तहसील के कतिपय गांवों में भीषण ओलावृष्टि से फसलों के नष्ट होने तथा सहायता की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम पाल वर्मा–

जनपद हरदोई के अन्तर्गत तहसील सण्डीला में मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में ग्राम ममरेजपुर, मल्हपुर, भोगन्तापुर, बेनीगंज, पिपरी आदि कई ग्रामों में भीषण ओला वृष्टि से किसानों की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी है, जिससे किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं अभी तक सरकार की तरफ से कोई तात्कालिक व्यवस्था व राहत कार्य शुरू नहीं किया गया। कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें।

गाजियाबाद में तहसील दादरी के अन्तर्गत कतिपय गांवों के किसानों की भूमि को मे० फामर्स इण्डिया लि० द्वारा फर्जी तरीके से बेंचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

[महोदय, तहसील दादरी के अन्तर्गत ग्राम नगलानगली के किसानों की जमीन जो यमुना बांध के अन्दर स्थित है, को मे० फामर्स इण्डिया लि० नाम की कम्पनी ने रिवर ब्रिज नाम से फार्म हाउस के लिए बेच दिया है। फर्जी लोगों को खड़ा कर पावर आफ अर्टानी कराकर जमीन की रजिस्ट्री कर दी गयी है। रिवर ब्रिज में फार्म हाउस बनाया जाना भी नियम के विरुद्ध है। ग्राम असगरपुर व रायपुर की जमीन जनवरी, 1995 के बाद फर्जी रजिस्ट्री करायी गई है। अतः सम्मानित सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए सम्पूर्ण मामले की विवेचना सरकारी कागजात में दर्ज किसानों से पूंछतांछ करके फर्जी रजिस्ट्री निरस्त कराने और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधिक कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं और शासन से इस बात की भी मांग करता हूं कि मे० फामर्स एण्ड फामर्स इण्डिया लिमिटेड का नियमानुकूल सही पूंजीकरण है अथवा नहीं।]

जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के गांवों में भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर के समस्त गांवों में प्राकृतिक जल श्रोतों, कुओं एवं देशी हैण्ड पम्पों का पानी सूख गया है तथा भूतल का जल स्तर निरन्तर घटता जा रहा है। जल की निरन्तर कमी के कारण उक्त तहसील के सभी गांवों में पेयजल संकट के कारण लगभग सभी समस्याग्रस्त गांवों में जानलेवा बीमारियां फैलने आदि के कारण मानव जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है तथा जानवरों के मरने की स्थिति पैदा हो गयी है।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनपद फैजाबाद की तहसील बीकापुर में प्रत्येक पेयजल समस्या ग्रस्त गांव में निर्धारित मानक के अनुसार कम से कम 1000 इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प अविलम्ब लगवाये जाय ताकि मानव जीवन अस्त-व्यस्त होने से बच जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट [x x x] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के बी० एड०,एल० टी० और बी० टी० सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सेवा में लिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० कौशल किशोर–

महोदय, सबको शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है । अनेक जनपदों में बी० टी० सी० प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या आवश्यकता से कम है दूसरी ओर माध्यमिक और पूर्व माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित बी० एड० अथवा एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी बेरोजगार है ।

जनपद लखीमपुर खीरी इसका ज्वलित उदाहरण है माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने याचिका संख्या 1858/97 द्वारा इन प्रशिक्षित लोगों को भी उक्त भर्ती में शामिल किये जाने हेतु आदेशित भी किया है । पर्वतीय तथा रामपुर जैसे मैदानी जिलों में इन्हें यह अवसर दिया भी गया है । किन्तु लखीमपुर खीरी जनपद में ऐसा नहीं किया गया है ।

अतः सदन का ध्यान लोकमहत्व के इस प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए मैं शासन से मांग करता हूं कि उक्त भर्ती अभियान में बी० एड० तथा एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को भी समायोजित करने का अवसर देने की व्यवस्था करें ।

जनपद अम्बेडकर नगर की विद्युत आपूर्ति सीधे टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा से किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज निषाद–

महोदय, जनपद अम्बेडकर नगर में प्रायः विद्युत आपर्ति बाधित रहती है, जिससे किसानों, बुनकरों, विद्यार्थियों तथा आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से हजारों बुनकरों एवं मजदूर भुखमरी के कगार पर खड़े हैं ।

अस्तु लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन से मांग करता हूं कि जनपद अम्बेडकर नगर की विद्युत आपूर्ति सीधे टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युत नगर टाण्डा से की जाय ।

जनपद देहरादून की तहसील चकराता के ग्राम क्यावा के समीप चौलीयात (रामताल्गार्डन) में शहीदों की स्मृति में उनकी मूर्ति की स्थापना एवं स्थल का सौन्दरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुन्ना चौहान–

महोदय, इस वर्ष देश की आजादी की 50वीं सालगिरह है । देश की आजादी के लिए लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीदों की स्मृति को चिर स्थायी बनाने के लिए और उनके सौर्य एवं पराक्रम से वर्तमान एवं भविष्य की पीड़ियों को प्रेरित करने का यह सबसे उपयुक्त अवसर है । सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों की पंक्ति में है अमर शहीद वीर केशरी चन्द, जिन्हें आजाद हिन्द फौज में रहकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के जुर्म में 3 मई, 1945 को लाल किले में फांसी दे दी गयी । आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित होने से पहले शहीद केशरी चन्द सेना में सूबेदार थे और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के आवाह्न पर सेना की नौकरी को ठोकर मारकर आजाद हिन्द फौज को ज्वांइन किया था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शहीद बीर केशरी चन्द जनपद देहरादून के तहसील चकराता के ग्राम क्यावा में जन्मे थे। उस समय चकराता जैसे पिछड़े एवं दुर्गम क्षेत्र में एफ० ए० (वर्तमान में इण्टरमीडिएट) स्तर की शिक्षा प्राप्त करना बहुत बड़ी बात थी। शहीद केशरी चन्द एफ० ए० की परीक्षा पास करके सेना में भर्ती हो गये परन्तु आजादी का जज्बा इस नौजवान को अंग्रेजों की नौकरी त्याग कर मात्र 23 1/2 वर्ष की आयु में देश की जंगे आजादी में सब कुछ न्योछावर करने के लिए प्रेरित किया और फांसी के फंदे पर 23 1/2 वर्ष की अल्पायु में हंसते-हंसते झूल गये। चकराता क्षेत्र के जनमानस की लम्बे समय से मांग है कि सर्वोच्च बलिदान करने वाले अमर शहीद की यादगार में उनके पैतृक गांव क्यावा के समीप चौलीयात (रामताल गार्डन) में उनकी स्मृति में शहीद स्मारक आदमकद मूर्ति की स्थापना कर स्थापना स्थल का सौन्दर्यीकरण कर पर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जाय।

उपरोक्त विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है क्योंकि शहीदी दिवस 3 मई, 1997 बहुत नजदीक है और इसी दिन रामताल गार्डन में शहीदी मेले का आयोजन किया जा रहा है और शहीद स्मारक, मूर्ति स्थापना एवं अन्य प्रकार के सरकारी कार्यक्रमों की घोषणा इस तिथि से पूर्व अनिवार्य है। अतः मैं इस राष्ट्रीय स्तर के लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा करके सरकार से तत्काल घोषणा की मांग करता हूं।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत पकड़ा फीडर तथा विशुनपुरा फीडर को जाने वाले 11 हजार की लाइन का कार्य पूर्ण न किये जाने तथा अवर अभियन्ता द्वारा लाखों का घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

जिस समय मैंने नाम पुकारे थे उस समय तीन सदस्य उपस्थित नहीं थे अगर आ गये हों और अपनी सूचना पढ़ना चाहें तो पढ़ दें।

(श्री मित्रसेन यादव का नाम पुकारे जाने पर)

(उपस्थित नहीं हुए)

(श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, निम्नलिखित सूचना पढ़ी हुई मान ली जाय।

* श्री सूर्य प्रताप शाही–

। महोदय, देवरिया जनपद में बधीचघाट नामक स्थान पर 33/11 के०वी०ए० विद्युत उपगृह का सन् 1992 में निर्माण हो गया किंतु पकहा फीडर तथा विशुनपुरा फीडर को जाने वाले 11 हजार की लाइन को अभी तक तैयार कर कार्य पूरा न किये जाने से लाखों रूपये के लागत से बने विद्युत उपगृह का निर्माण बेकार साबित हो गया है। वहां कार्यरत अवर अभियन्ता ने लाखों रुपये के तार और विद्युत सामग्री को बेच दिया जिससे वह कार्य पूरा नहीं हो सका, जिससे जनता को घोर असुविधा हो रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः [x x] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसी प्रकार दूरी पट्टी और पोखर भिण्डा गांव के उर्जीकरण की सामग्री भी उक्त अवर अभियन्ता ने बेच दिये जिससे उन गांवों का उर्जीकरण का कार्य अधूरा रह गया और ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति नहीं हो सकी।

फलतः आपकी अनुज्ञा से इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

(श्री उबेर्दुरहमान का नाम पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष–

इन सब सूचनानओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गई हैं उनमें श्री पारसनाथ यादव की सूचना कई विभागों से संबंधित.....

(श्री उबेदुर्रहमान द्वारा सूचना पढ़े जाने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्षमा कीजियेगा, मैंने आपको देखा नहीं था। आप अपनी सूचना पढ़ दें।

ध्वनि विस्तारक यंत्र के खराब होने की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

(श्री उबेदुर्रहमान के सूचना पढ़ने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सचिव आज शाम को माइक चैक करा लिये जायं।

श्री चन्द्र पाल सिंह यादव–

मान्यवर, यह ध्वनि यंत्र जानबूझकर खराब किये गये हैं ताकि सरकार को हमारी बात न सुनाई दे।

श्री अध्यक्ष–

यह तो विधान सभा सचिवालय की बात है, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, यह आपके नियंत्रणाधीन है और इस तरह से आपकी पीठ पर आक्षेप लगाना शोभा नही देता है।

जनपद गोण्डा के उतरौला क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों के निर्माण, मरम्मत एवं पुल निर्माण की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं। मा० श्री उबेदुर्रहमान आप अपनी सूचना पढ़ें।

(श्री उबेदुर्रहमान ने निम्नलिखित सूचना पढ़ी।)

* श्री उबेदुर्रहमान–

महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र उतरौला की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत ऐसे सम्पर्क मार्ग है जिनका निर्माण कार्य हुए कई वर्ष हो गए हैं, लेपन न होने से

---

* यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्गों पर पड़े पत्थर उखड़ कर ऊपर आ चुके हैं मार्गों की सारी पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं जिसमें आवागमन वाधित हो रहा है । सतह लेपन हेतु शासन को भी अवगत कराया है जो सड़के क्षतिग्रस्त हैं उनमें पीलीभीत आसाम रोड चौराहा है उतरौला कस्बे तक उतरौला से रूस्तम नगर मार्ग, नगवा नदौरी मार्ग, उतरौला मनकापुर मार्ग पर मधपुर पाइल ब्रिज, राप्ती नदी पर पिपराघाट पुल आदि का निर्माण वर्षा के पूर्व व तत्काल न कराया गया तो सम्पर्क मार्ग बन्द हो जायेंगे । कुछ मार्ग अम्बेडकर ग्रामों से जुड़े हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जनहित में राज्य सेक्टर योजना में शीघ्र ही उक्त मार्गों पर धन आवंटन करके शीघ्र ही लेपन करवाने व पुल निर्माण करवाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

श्री पारस नाथ यादव–

मान्यवर, मैंने नियम 301 में एक सूचना दी थी आपने निरस्त कर दी है । एक व्यक्ति का मकान है ।

श्री अध्यक्ष–

देखिये ऐसा है नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना यदि कई विभागों से संबंधित होती है या उसमें आक्षेप किया गया होता है तो निरस्त कर दी जाती है । आपकी सूचना कई विभागों से संबंधित है ।

श्री पारस नाथ यादव–

कई विभागों से संबंधित नहीं है । मान्यवर, उस व्यक्ति का मकान था । कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है उस व्यक्ति के साथ.....

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना में आक्षेप भी है । आप आक्षेप हटाकर कल सूचना दे देंगे तो ले ली जायेगी । जो सूचनाएं निरस्त की गई उनमें पहली सूचना श्री पारस नाथ यादव की कई विभागों से संबंधित होने के कारण व दूसरी सूचना श्री श्याम सुन्दर शर्मा की आक्षेपात्मक होने के कारण निरस्त ।

श्री अध्यक्ष–

माननीया श्रीमती सीमा द्विवेदी की सूचना कई विभागों से संबंधित है । श्री उदयराज यादव की सूचना में आक्षेप है यह अस्वीकार की गई । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यांन आकृष्ट करता हूं ।

(व्यवधान)

ध्वनि विस्तारक यंत्र के खराब होने की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, ध्वनि विस्तारक यंत्र के बारे में अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे शायद माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है मैं उनको आपके माध्यम से जानकारी कराना चाहता हूं कि ध्वनि विस्तारक यंत्र आपके नियंत्रणाधीन है तो कोई प्रश्नचिन्ह लगाना सदन की गरिमा के प्रतिकूल है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य को जानकारी नहीं रही होगी ।

(व्यवधान)

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

आज दिनांक 24-4-97 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, डा० अम्मार रिजवी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अखिलेश सिंह जी और श्री श्याम सुन्दर शर्मा जी की है।

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन् मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया.....

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)–

मान्यवर, वह हो जाने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

आपके अधिकरों का पूरा प्रयोग होगा मैं सुनूंगा यह हो जाने दीजिए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के लिए विधायक निधि के गठन की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। ग्राह्यता के बिन्दुओं पर माननीय सदस्यों के द्वारा चाहे संविधान के अनुच्छेदों का उल्लेख किया जाए, ग्राह्यता का प्रश्न उठाया जाता है। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-58 के तहत सदन की किसी गरिमा के बाधित होने के संबंध में या निर्वाचन के संबंध में चाहे तार्किक ढंग से इस बात का प्रयास करते हैं कि आप ग्राह्य कर लें, लेकिन आप ग्राह्य नहीं करते हैं। मेरे प्रश्न पर सदन सहमत होगा। मैं तो अनुरोध करूंगा इसकी ग्राह्यता और सब तकनीकी आधार के साथ सदन का एक भी सम्मानित सदस्य इसकी ग्राह्यता से सहमत नहीं होगा तो मैं इसको वापस ले लूंगा। इस विधान सभा के संविधान के अनुच्छेद-170 के अन्तर्गत विधान सभा का संरचना का प्राविधान हुआ है। और इसी के आधार पर विधान सभा के क्षेत्रों का परीसीमन होता है। अनुच्छेद 333 के उपबन्धों के अधीन प्रदेश की विभिन्न विधान सभायें हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से माननीय सदस्य चुनकर आते हैं ताकि वह अपने क्षेत्र के उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सकें। अपने-अपने क्षेत्र के विकास के बारे में माननीय सदस्य सदन के माध्यम से बजट पेश करते है ताकि वे अपने मतदाताओं की आकांक्षाओं को सार्थक कर सकें। तो श्रीमन् इसी मूल भावना को लेकर विधान सभा की रचना हुई है। संविधान के अनुच्छेद 174 (1) में स्पष्ट तौर से दिया गया है कि राज्यपाल समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल के सदनों या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेंगे। राज्यपाल महोदय समय-समय पर विधान सभा का अधिवेशन बुलाते हैं ताकि वित्तीय स्वीकृतियां और बजट का प्राविधान हो सके। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 195 के नियम 4 के अन्तर्गत यह दिया गया है। विधान सभा के जो क्षेत्र हैं उसकी जनसंख्या-15-16 करोड़ आबादी की है। सदन के माध्यम से हम पूरे प्रदेश की समस्याओं की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान आकृष्ट करा सकते हैं।

जल्दी जल्दी सरकारों के बदलने से जैसा कि आपने देखा कि उनकी प्राथमिकताएं भी बदलती रहती हैं। कभी गांधी ग्राम, कभी अम्बेडकर ग्राम, कभी 1500 गांवों को जोड़ने की बात की जाती है। अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध रहते हैं चाहे पी० डब्लू० डी०, या

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डी० आर० डी० ए०, या स्टेट सेक्टर से पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता है। आप कल्पना कीजिये कि जब यह पैसा डायवर्ट कर दिया जाएगा तो विधायक जो कि अपने क्षेत्र से तमाम वादे करके आते हैं उन वादों को पूरा करने के लिए बजट में कोई प्राविधान ही नहीं रह पाएगा। विधायकों की मतदाओं से रूबरू होना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह पूरे 425 विधायकों के मन की पीड़ा है। लोक सभा में भारत सरकार से तमाम पैसा दिया जाता है संसद के सदस्यों के लिए एक-एक करोड़ रुपए की सांसद निधि की स्थापना की गई है। वह उस पैसे का अपनी इच्छा अनुसार कार्च कर सकता है।

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात किसी संगत नियम के अन्तर्गत लाएं।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं वह मंत्री तो बाद में हैं लेकिन इसके पहले वह विधायक हैं। इसी तरह से सभी मंत्री पहले विधायक है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। कि इसे ग्राह्यता पर स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश के विधान सभा के सदस्यों को 50 लाख रुपये की विधायक निधि की व्यवस्था की जाये जिससे विधायकगण इन 50 लाख रुपयों से आवश्यकतानुसार खर्च कर सके।

नेता , विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

अध्यक्ष महोदय यह प्रकरण आपके संज्ञान में भी काफी समय से होगा। अध्यक्ष पीठ के संज्ञान में जो प्रश्न होता है वही प्रश्न ग्राह्यता में आता है। यह प्रकरण काफी समय से चला आ रहा है, यह काफी महत्वपूर्ण विषय है। संसद के सदस्यों को एक करोड़ रुपया उनके क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए आवंटित किया जाता है। विधान सभा के सदस्यों को भी क्षेत्र के विकास के लिए उनसे कम काम नहीं करना पड़ता है। जिन माननीय सदस्यों को जनता चुनती है बिना पैसे उनकी क्या स्थिति हो रही है इसकी आप कल्पना कर सकते ह। इतना ही नहीं जो पैसा जवाहर रोजगार योजना, या जिला योजना के तहत विधायकों की संस्तुतियों के आधार पर खर्च किया जाता था। ..

वह भी अब उसका अधिकांश भाग अम्बेडकर ग्रामों के विकास के लिये व्यय किया जाना प्रारम्भ कर दिया है और उसी को प्राथमिकता दे रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सदन के चुने हुये प्रतिनिधियों के सम्मान को कायम रखने के लिये, उनके क्षेत्र के विकास के लिये जिला योजना का पूरा पैसा क्षेत्रीय विधायकों की सहमति से खर्च किये जाने के निर्देश देने की कृपा करें। साथ ही साथ डी० आर० डी० ए० की जो मीटिंग होती हैं उसमें विधायी प्रतिनिधि ही उसके अध्यक्ष हों और जिले की कोई भी समिति जिसमें विधायक प्रतिनिधि हों, जैसा पूर्व में था, कोई भी सरकारी अधिकारी उसका अध्यक्ष न हो, जनप्रतिनिधि ही उसका अध्यक्ष हो।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, एक माननीय सदस्य सदन में अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, सदन में अखबार न पढ़ें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, जैसा कि श्री पाल जी ने कहा प्रत्येक निर्वाचित विधायक को विकास कार्यों के लिये कम से कम 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष विकास कार्य करने के लिये मिलना चाहिए । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

श्रीमन्, मैं पाल साहब के औचित्य के प्रश्न पर निवेदन करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विकास की धारा जुड़ गयी है और उसका नतीजा है कि आज विषमता उत्तर प्रदेश के हर जिले में बड़े पैमाने पर फैली हुई है । जो भी मुख्यमंत्री बना या मंत्री बना, विकास के धन को अपने साथ जोड़कर, अपने क्षेत्रों में विकास करने की परम्परा बढ़ी है । इसका सारे जनमानस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है । श्रीमन्, इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक सा विकास हो, विकास का धन सभी को बराबर मिले, इसलिये जरूरी है कि प्रत्येक विधायक को उसके क्षेत्र के विकास के लिये 50 लाख रुपये की धनराशि मिलनी चाहिए । यह इसलिये भी जरूरी है कि आज जितने विशिष्ट व्यक्ति हैं, विकास के नाम पर अपने-अपने जिलों में और अपने गांवों में ले जा करके अरबों रुपया विकास के नाम पर रख देते हैं, यह गलत परम्परा है । इस सदन में बैठकर हम बजट का संचालन करते हैं लेकिन जब जिलों में जाते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए एक सड़क भी नहीं बनवा सकते । अपने यहां का एक उदाहरण देना चाहूंगा, केवल दो लाख रुपया मिला, दो लाख रुपये में एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बन सकती है । एक किलोमीटर सड़क कच्ची मिट्टी डालकर बनाने में कुल व्यय एक लाख चौबीस हजार रुपये आता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के समुचित तथा एक सा विकास हो इसके लिये प्रत्येक विधायक को 50–50 लाख रुपया प्रतिवर्ष मिलना चाहिए ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, पाल साहब ने जो बात रखी है, उसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि 50 लाख रुपया हम लोगों को मिलना चाहिए । इस सदन के 425 मेम्बरान इस बात की मांग कर रहे हैं और चिन्तित भी हैं, तो इस पर आज निर्णय हो जाना चाहिए और 50 लाख रुपया प्रत्येक जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए । आज दो-दो लाख रुपये कि लिये डी० एम० के दरवाजे पर खड़ा होना पड़ता है, यह नहीं होना चाहिए और प्रत्येक विधायक को 50 लाख रुपया अपने क्षेत्र के विकास के लिये मिलना चाहिए । ..... (व्यवधान)

श्री राम जग–

(व्यवधान के मध्य) मान्यवर, हम लोग प्रदेश के विकास के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए जो बात श्री जगदम्बिका पाल ने कहा है कि प्रत्येक विधायक को 50-50 लाख रुपये विकास कार्यों हेतु दिए जाए, तो इसका मैं समर्थन करता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा (संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री)–

नियम 300 के अन्तर्गत सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद तिवारी, डा० अम्मार रिजवी एवं अन्य मा० सदस्यों ने दिया था जिसमें मान्यवर, आपने श्री जगदम्बिका पाल और नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं को आपने सुना । मान्यवर, संविधान के दो अनुच्छेदों का उद्धरण दिया गया है । पहला उद्धरण अनुच्छेद 170 का दिया तो इसके बारे में विधान सभा के क्षेत्र के गठन के बारे में है । एक प्रांत

में विधान सभा कम से कम हो सकती है उसके बाबत बात कहा है। तो इसका इस सदन के चलने से संबंध, मैं समझता हूं कि दूर का रिश्ता नजर नहीं आता है।

दूसरा संविधान के अनुच्छेद 174 के बारे में कहा है। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं :–

(1) राज्यपाल, समय-समय पर राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझें, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और अगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छः मास का अन्तर नहीं होगा।

(2) राज्यपाल, समय-समय पर–

(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा,

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग व्यवधान न पैदा करें। मा० मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, नियमावली के नियम–4 का उद्धरण दिया गया। जिसमें समय-समय पर सभा का आह्वान राज्यपाल द्वारा नियत समय और स्थान पर समवेत होने के लिए किया जाएगा। इसमें राज्यपाल की शक्ति के बारे में बताया गया है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि इन धाराओं का कहीं भी सदन की कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है और संविधान के अनुच्छेदों में जो व्यवस्था है, नियम–4, उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। इसलिए औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन मा० सदस्यों ने जो जिज्ञासा प्रकट किया है मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो विकास के बारे में मा० सदस्य चिन्तित हैं और इस विधान सभा के जितने भी माननीय सदस्य हैं उनके किसी भी अधिकार में कोई कटौती करने की न सरकार की मंशा है और न कोई कटौती किया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

(व्यवधान के मध्य) मंत्री जी [x x x] कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें और मा० मंत्री जी को बोलने दें।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आपकी पीठ से अनेक बार यह निर्णय दिया गया है कि किसी मंत्री के बारे में [x x x] शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं है।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । मैं पूरी कार्यवाही पढ़ता हूं जो भी असंसदीय शब्द होता है, उसे निकाल देता हूं ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जहां तक अम्बेदकर गांव के विकास की बात है, जो हजारों साल से उपेक्षित लोग रहे हैं, जिनके घरों तक आज भी रास्ता नहीं है, जिनके घरों में आज भी रोशनी नहीं जल सकी है ..

(विरोध पक्ष के अनके सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मेरी अनुमति के बिना जो बोलेगा, उसका कुछ लिखा नहीं जायेगा । पहले संसदीय कार्य मंत्री की पूरी बात तो सुन लीजिये ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने कल ही यह प्रस्ताव रख दिया था कि अम्बेडकर गांव के लिये बजट दिया जाय, इस पर हम सब लोग सहमत हैं, हम लोगों का जो अधिकार है..

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री क्या बात कह रहे हैं, वह तो पूरी हो जाने दीजिये ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिनके घरों तक आज भी केवल मेड़ है, जिसकी वजह से अपराध होते हैं, ऐसे लोगों के आंसू पोछने का काम इस सरकार की पहली प्राथमिकता है । किसी के अधिकार को काटने का कोई काम नहीं किया जा रहा है । हम इन अम्बेडकर गांवों के लिये अलग से पैसे का इन्तजाम करके, इन उपेक्षित लोगों का कल्याण करने जा रहे हैं ।

(विरोध पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा पुनः अपने-अपने स्थानों से खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

अभी बात पूरी हो जाने दीजिये

श्री अवधेश प्रसाद–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप तो चर्चा करने लगे । हम लोग अभी ग्राह्यता पर विचार कर रहे हैं । मैं इसे कार्यवाही से हटा दूंगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अवधेश प्रसाद जी कुछ कह रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो आपके द्वारा अच्छी योजना शुरू की गई थी, हम लोग अगर उसका सम्वर्धन कर रहे हैं, उसके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मजबूत तरीके से कर रहे हैं, इसके लिये तो आपको हमारी सरकार को साधुवाद देना चाहिये, परन्तु जिनकी मानसिकता सामन्तवादी रही है, जो इस तरह के लोग होते हैं, वह कभी भी गरीब लोगों की, जिनकी उपेक्षा सदियों से हो रही है, यदि कोई उनके घरों में उजाला करने का प्रयास करता है तो वह इसे कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं....

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपने-अपने स्थानों से खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं समझता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर आ गया है। आप लोग स्थान ग्रहण कर लें, वरना दूसरी सूचनायें नहीं ली जा सकेंगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अम्बेडकर गांवों के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है, इसमें दूसरी जगहों का पैसा डाइवर्ट करके दिया जा रहा है।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े रहने पर–व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि हम विधायकों के अधिकारों में कोई कटौती करने नहीं जा रहे हैं। अम्बेडकर गांवों के विकास के लिए अलग से प्राविधान करेंगे, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। हमारे किसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो निश्चय किया है मुझे महान प्रसन्नता है। आप आज ही इस बात की घोषणा कर दें कि जो जिला योजना का बजट है उससे अलग हटकर के बजट इसके लिए प्रस्तुत करेंगे तो हम सब लोग आपका समर्थन करेंगे इसलिए आप इसके लिए आज ही प्रस्ताव लायें।

श्री समर पाल सिंह–

मान्यवर, अम्बेडकर गांवों का विकास हो, हम भी इसके विरोध नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का विकास हो। परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अम्बेदकर गांवों को चिन्हित किया जाय। मेरे गांव छपरौली में आज तक कोई अम्बेदकर गांव चिन्हित नही किया गया है, इस प्रकार अम्बेदकर गांवों को दी जाने वाली धनराशि से हमें वंचित किया जा रहा है इसीलिए मेरा अनुरोध है कि मेरे क्षेत्र में भी अम्बेदकर गांवों को चिन्हित किया जाय।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, विपक्ष के माननीय सदस्य ऊंची आवाज में सरकार की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वह इनके लिए संभव नहीं हो पायेगा। सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि हजारों वर्षों से जो उपेक्षित लोग रहे हैं उनका विकास हो। सुश्री मायावती जी की सरकार ने इन समाज के लोगों की उपेक्षा बिलकुल नहीं हो पायेगी।

श्री अध्यक्ष–

किसी की बात वांछनीय है या अवांछनीय है यह अलग बात है परन्तु विधान सभा की प्रक्रिया के तहत नियम–300 के अन्तर्गत आपकी सूचना नहीं आती है इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं कि नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन

का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा, इसलिए यह सूचना इस नियम की परिधि के अन्तर्गत नहीं आती लिहाजा मैं इस औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं...

श्री धनीराम वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने विधायकों की मर्यादा और गरिमा से संबंधित प्रश्न को निरस्त किया है विधायकों के क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रश्न को निरस्त किया है इसलिए मैं और मेरा दल इसके विरोध में इस प्रश्न के लिए सदन का बहिष्कार करता है।

[माननीय नेता विरोधी दल अपनी पार्टी (समाजवादी पार्टी) के मा० सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।]

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल यह भी बताते जायं कि उन्होंने कितने समय के लिए सदन का बहिष्कार किया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, यह किसी एक क्षेत्र का मामला नहीं है यह किसी एक विधायक का मामला नहीं है, यह सम्पूर्ण विधायिका का मामला है। उनके अधिकारों और क्षेत्र के विकास के उस दृष्टिकोण से सरकार सम्यक और संतुलित विकास नहीं करना चाहती है और संवेदन शून्य है इसलिए मैं और हमारा दल संदन का बहिष्कार करता है।

(श्री जगदम्बिका पाल अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

(घोर व्यवधान)

श्री कोकब हमीद–

मान्यवर, गवर्नमेन्ट हमारी बात नहीं सुन रही है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री कोकब हमीद अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार कर चले गये)

विधान सभा द्वारा राज्य प्लान और जिला प्लान के व्यय के लिये स्वीकृत धन को समय से उपलब्ध कराये जाने की मांग के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने औचित्य के प्रश्न पर सुनने के लिए मुझे समय दिया। श्रीमन्, जिला प्लान जिलों में बनता है और जिला प्लान बन जाने के बाद उसके लिए धन लखनऊ से आवंटित होता है और यह धन साल के अन्त में मार्च महीने में पहुंचता है और काम 9 महीने पिछड़ा पड़ा रहता है। मार्च में हर विभाग का अधिकार कार्यपूर्ति दिग्दर्शन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसमें सारी कार्यवाही पूरी करके दिखा दी जाती है लेकिन जब वह धन को लेकर जाते हैं तो वहां पर अधिकारी उस धन के खर्च पर विचार करते हैं और देर हो जाने के कारण उसे पी० एल० ए० में डाल दिया जाता है। श्रीमन्, मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जिला प्लान में तीन महीने में पहली किश्त जारी कर दें, एक तिहाई पैसा जारी कर दें, और अगले महीने कार्यपूर्ति

दिग्दर्शन का भौतिक सत्यापन करा लें कि उसका उपयोग हुआ कि नहीं, चेक एण्ड बैलेन्स की परम्परा को लागू करने का काम हुआ कि नहीं जब तक यह परम्परा चेक एण्ड बैलेन्स की नहीं पड़ेगी तो धन के दुरुपयोग की संभावनाएं और अधिक हो जायेंगी । इसलिए मैं चाहूंगा कि इस औचित्य के प्रश्न पर चर्चा कराई जाये और आप सरकार को निर्देशित करें कि मेरे कथनानुसार धन आवंटन की प्रक्रिया का परिचालन प्रारम्भ करे ।

(इसी मध्य सदन त्याग कर गए सदस्य पुनः सदन में वापस आ गए)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल आपको औचित्य का प्रश्न दिया था और अपने दलीय नेताओं की बैठक बुला ली लेकिन आज आपने वह भी नहीं किया कि आप दलीय नेताओं की बैठक बुला लें ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

(श्री जगदम्बिका पाल सहित अनेक विपक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में नियम 300 के संबंध में जो प्राविधान है कि औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रर्वतन के संबंध में होगा अब चूंकि यह निर्वचन व प्रर्वतन के संबंध में नहीं है अतः यह सूचना निरस्त करता हूं ।

विभिन्न सूचनाओं के संबंध में जानकारी

(श्री राम औतार शाक्य का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम औतार शाक्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हो रहे हैं अतः उनकी सूचना को निरस्त करता हूं ।

(सदन के वेल में आये हुए माननीय सदस्य अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

(श्री राम बिशुन आजाद और श्री रामपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

दोनों माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं खड़े हो रहे हैं, अतः उनकी सूचना को मैं निरस्त कर रहा हूं ।

(श्री राजेन्द्र यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजेन्द्र यादव जी अपने स्थान पर नहीं खड़े हो रहे हैं अतः उनकी नियम 300 की सूचना निरस्त की जाती है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य (फ्लोर की ओर कहते हुए)–

इस तरह से मैं कार्यवाही नहीं चलने दूंगा

श्री अध्यक्ष–

यह भाषा मत बोलिये कि कार्यवाही नहीं चलने देंगे । यह सड़क की भाषा यहां मत बोलिये ।

(श्री बाबू राम यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री बाबू राम यादव उपस्थित हैं परन्तु अपने स्थान पर खड़े नहीं हो रहे हैं अतः उनकी सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

(श्री राम नक्षत्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम नक्षत्र अपने स्थान पर खड़े नहीं हो रहे हैं अतः उनकी नियम 300 की सूचना को निरस्त करता हूं।

माननीय नेता विरोधी दल ने नियम 311 के लिए समय मांगा था उनको आमंत्रित कर रहा हूं।

(माननीय नेता विरोधी दल को पुकारे जाने पर)

माननीय नेता विरोधी दल अपने स्थान पर खड़े नहीं हो रहे हैं इसलिए मैं कार्यसूची की अगली मद ले रहा हूं।

(सदन के फ्लोर पर से श्री जगदम्बिका पाल के बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी आप सब अपने स्थान पर वापस जायें।

अधिकारों की रक्षा नियमों से होती है। मद संख्या–3 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या–4 लेता हूं। माननीय श्री बावन सिंह कृपया अपनी याचिका उपस्थित करें। (श्री बावन सिंह के खड़े न होने पर) माननीय श्री बावन सिंह जी नहीं है। मद सं०–5 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या–6 लेता हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 23 अप्रैल, 1997 की बैठक में सदन के दिनांक 24 तथा 25 अप्रैल, 1997 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–सदन के दिनांक 24 तथा 25 अप्रैल, 1997 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित संशोधित रूप से निर्धारित किया जाय :–

<u>अप्रैल, 1997</u>

24 गुरुवार (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

(2) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1997 पर विचार एवं उसका पारण।

.....आधा घण्टा

(3) प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान न किये जाने तथा गन्ने की पेराई की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा।

.दो घण्टा

25 शुक्रवार (1) श्री सूर्य प्रताप शाही, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित असरकारी संकल्प का केवल प्रस्तुतीकरण:–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गन्ना पेराई की समस्या के स्थाई समाधान के लिये राजकीय चीनी निगम तथा सहकारी संघ द्वारा संचालित चीनी मिलों की समयबद्ध रूपरेखा तैयार कर उनका सुदृढ़ीकरण तथा विस्तारीकरण अविलम्ब कराया जाय।"

(2) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

(3) नियम 103 के अन्तर्गत श्री रंगनाथ मिश्र, सदस्य, विधान सभा के निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुत किया जाना एवं उस पर एक घण्टे की चर्चा :–

"इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा खोले जा रहे "पी० एल० ए०" पर तत्काल रोक लगाई जाय और उसमें अब तक स्थानान्तरित धनराशि का प्रयोग निर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु यथाशीघ्र किया जाय।"

2–दिनांक 24 तथा 25 अप्रैल, 1997 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जाय।

(सदन के फ्लोर पर खड़े माननीय सदस्य के निरन्तर बोलने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गयी है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान जारी रहने पर)

मैं सदन को 2 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 1 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 2 बजे मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है। तदुपरान्त 2 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विधायक निधि की स्थापना की घोषणा मुख्य मंत्री द्वारा आज ही सदन में किये जाने की मांग

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी इस प्रकरण पर जो नियम–300 के अन्तर्गत उठाया गया था कि हम सभी चुने हुए विधायकों के क्षेत्र के विकास के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि की स्थापना की जाये जैसा कि बिहार और दिल्ली राज्य में है। बिहार में 25 लाख और दिल्ली में एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष

विधायक क्षेत्र विकास निधि में दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी घोषणा आज ही कर दीजिये जिससे हमारे विधायक कुछ करने के लिए सक्षम हों।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें। मैं अभी आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही, आपको शायद स्मरण होगा मैंने कल ही शासन को निर्देश दिया था और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी इस निर्देश को दोहराया था। उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष पीठ से जो निर्णय दिया गया है वह हमें स्वीकार है। संयोग से इस समय माननीया मुख्य मंत्री जी भी मौजूद हैं, इस सदन की नेता हैं वे सभी दलों के नेताओं की एक बैठक करके रास्ता निकाल लेंगी। मैं उनसे कहूंगा कि वे माननीय नेतागणों की एक बैठक बुला लें और इसमें उन सभी विषयों पर चर्चा कर लें जो यहां पर उठे हैं। मुझे विश्वास है कि वे बैठक बुला लेंगी वे संवेदनशील है और विधायकों की क्या-क्या कठिनाई है इसको समझती हैं वे बैठक बुला लेंगी।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहूंगा, यह सम्पूर्ण विधायकों की अस्मिता का प्रश्न है। हर क्षेत्र में विकास के संबंध में जो अपेक्षाएं होती हैं, उसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि वे विधायक विकास निधि की घोषणा कर दें। उसके बाद वे दलीय नेताओं की बैठक कर लें। धनराशि के संबंध में उन्हें परामर्श लेना पड़ सकता है। अत: मैं चाहूंगा कि वे इसकी घोषणा आज ही कर दें। जैसे दिल्ली और बिहार राज्य में है।

श्री अध्यक्ष–

आप फिर उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। अब आप कृपया बैठ जायें

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, कल और आज विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने और नेता विरोधी दल ने यह बात उठायी है कि डा० अम्बेदकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं उसमें स्थानीय स्तर पर माननीय विधायकों की राय नहीं ली जा रही है और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है।...

यह सवाल सदन में उठाया गया है। इस बारे में मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि जहां तक डा० अम्बेदकर ग्राम विकास योजना का सवाल है, उसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि कल से ही इस विषय को लेकर सदन में काफी गहमा गहमी हो रही है। मुझे यह देखकर बड़ी तकलीफ हुई कि कुछ दल विकास के नाम पर भी राजनीति करते हैं। डा० अम्बेदकर ग्राम विकास योजना को हमने शुरू नहीं किया है, बल्कि यह योजना 1991 में डा० भीमराव अम्बेदकर जन्म शताब्दी के सिलसिले में शुरू हुई थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ग्राम सभा एवं सीलिंग की जमीन उनको मिले। इसलिये यह योजना आज से लगभग 20-25 वर्ष पहले प्रारम्भ हुई थी तथा आज भी भारत सरकार के 20सूत्री कार्यक्रम का एक हिस्सा है। यह लोग दलित और गरीबों के नाम पर दिखावा करते हैं और जब हम उस काम को ईमानदारी से करते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहती हूं कि जो माननीय सदस्य आज विपक्ष में बैठे हैं, उनकी भी सरकार यहां पर रही है, उनकी गठबन्धन की सरकार यहां पर रही है और मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है और आज अलग से विधायकों के विकास निधि की स्थापना की बात करते हैं तो मैं विपक्ष के नेता जी से और जो दूसरी पार्टी के नेता बैठे हैं, उनकी भी सरकार रही है। माननीय वर्मा जी आज आप जिस सम्मानित कुर्सी पर बैठे हैं, इस कुर्सी पर आप भी रहे हैं, जब आपकी सरकार रही, तो

विकास निधि की स्थापना कर देनी चाहिये थी, लेकिन आपने नहीं किया, हो सकता हो आपके सामने कुछ मजबूरी रही हो । आपने कभी ख्याल नहीं किया कि इसकी स्थापना की जाये और कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है, और आज पाल साहब पूंछ रहे हैं और घोषणा करने की बात करते हैं, लेकिन आपने कभी इसके पहले ध्यान नहीं दिया । मैं आपकी मंशा समझ गयी हूं । डा० अम्बेदकर योजना का कार्यक्रम जो सरकार ने बनाया है, आप उसमें रोड़ा अटकाना चाहते हैं । हमारी सरकार उसे पूरा नहीं होने देगी । अध्यक्ष जी कल व्यवस्था दी थी । मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूं । मैंने इस पर स्टडी नहीं किया है । यह सवाल आर्थिक पहलू से जुड़ा है । आपने जो भावनायें रखी हैं मैं उनकी कद्र करती हूं । आल पार्टीज के लीडर्स की मीटिंग बुलाकर विचार विमर्श किया जायेगा और में विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आल पार्टीज के लीडर्स की मीटिंग बुलाकर चर्चा करूंगी कि इस निधि की स्थापना की जा सकती है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । आप इसको सदन में उठाकर तुरन्त रेप्लाई चाहते हैं, तो मैं समझती हूं कि यह नामुमकिन है । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आल पार्टीज के लीडर्स की मीटिंग बुलाकर इस पर चर्चा करूंगी । आप कान खोल कर सुन लें, यह जो सरकार बनी है ....

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के सदस्य खड़े होकर शोर मचाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । (व्यवधान) आपके नेता विरोधी दल खड़े हैं । मैंने पहले कहा थ माननीय नेता विरोधी दल बाद में स्पष्टीकरण ले लें । (व्यवधान) आप अपने नेता को नहीं बोलने दे रहे हैं ।

श्री राम विशुन आजाद–

यह सरकार दलित विरोधी है, परिवर्तन चौक के नाम पर पैसा बहा रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जैसा मैंने कहा था बाद में स्पष्टीकरण ले लें वह स्पष्टीकरण ले रहे हैं ।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, मैं चाहूंगा स्पष्टीकरण में अभी आपने अपने भाषण में कहा विपक्ष के लोग, नेता प्रतिपक्ष अम्बेडकर ग्रामों के विकास में बाधा डालना चाहते हैं इसलिये आज यह घोषणा चाहते हैं । श्रीमन्, पूर सदन इस बात का गवाह है और मैं समझता हूं ईमानदारी से यहां एकमत होकर कहा, मैंने कल भी प्रस्ताव रखा था अपने भाषण में कि मैं अम्बेडकर गांवों के विकास के लिये यह प्रस्ताव करता हूं केन्द्र सरकार के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है उससे भी दूना धन खर्च किया जाय और अलग से निधि स्थापित की जाय । यह हम सब का प्रस्ताव है, उसके लिये विपक्ष तैयार है । लेकिन यह उस बात के लिये तैयार नहीं है, विषयांतर करके हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है । इनकी बात को बाहर नहीं कहना चाहता हूं लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि विषयांतर न किया जाय जो विषय तय है उस पर बात की जाय । मैं चाहूंगा इसका स्पष्टीकरण दिया जाय, सरकार की ओर से मुख्य मंत्री जी कहें कि क्य हमारे और आपके बीच कोई बात हुई है कि हम अम्बेडकर ग्रामों का विकास नहीं चाहते हैं क्या कहीं से कार्यवाही में लिखा है कि हम लोगों ने यह कहा है कि हम अम्बेडकर गांवों का विकास नहीं चाहते हैं । अगर ऐसा नहीं लिखा है तो आपने जो कहा है उसे कार्यवाही से निकाला जाय और अम्बेडकर गांवों के लिये निधि स्थापित की जाय और दूसरे विकास कार्यों के लिये विधायकों के क्षेत्र में अलग से व्यवस्थ

की जाय । इसे सिद्धान्तः स्वीकार किया जाय । सब दलों के नेताओं की बैठक बुलाये उसमें निधि निश्चित की जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल भी और आज भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है । चर्चा चाहे अन्य विषयों से संबंधित रही हों मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष के नेता और विधायकों ने नहीं कहा कि अम्बेडकर योजना से कोई विरोध है । वे सब चाहते हैं कि यह योजना कार्यान्वित की जाय, कोई योजना के विरुद्ध नहीं है । जैसे एक फल होता है बेल का जिसका छिलका कड़ुवा होता है और छिलका निकाल दिया जाय वह मीठा होता है । तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है उनका आशय है आप लोगों के साथ बैठ कर उसमें सारी समस्याओं पर विचार करके हल निकाल लेंगे । मेरा निवेदन इस विषय के संबंध में है । अब मैं आगे का विषय ले रहा हूं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मुझे 2 मिनट का समय दे दें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अवधेश प्रसाद जी आप तो इतने पारंगत हैं, कृपया बैठ जायं ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

माननीय मुख्य मंत्री जी ने धमकी दी है ।

श्री अध्यक्ष–

धमकी नहीं दी है । हर आदमी की कहने की एक शैली होती है । धमकी नहीं दी है । यदि कोई ऐसा शब्द होगा तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठ जायं, आगे की कार्यवाही चलने दें ।

श्री चन्द्रपाल सिंह यादव–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

आप क्यों धमकी दे रहे हैं ? यह कुछ नहीं लिखा जायगा जो चन्द्रपाल जी ने कहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरी बात सुन तो लें ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मेरे स्पष्टीकरण का जवाब आ जाये

(मद संख्या 8 पुकारे जाने पर)

श्री धनीराम वर्मा–

ऐसे सदन नहीं चलेगा। श्री राम विशुन आजाद, श्री श्याम किशोर यादव, श्री उदयराज, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री रामेश्वर दयाल, श्री ओम प्रकाश गुप्त, श्री अम्बिका चौधरी तथा श्री दीपक कुमार आदि सदस्य सदन के वेल में आ गये और सदन के वेल में आने के उपरान्त वहां नारे लगाने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

(शोर के मध्य)

उत्तरांचल नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, चमोली, टेहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जनपदों को सम्मिलित करके "उत्तरांचल" नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना करे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तर प्रदेश के नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, चमोली, टेहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जनपदों को सम्मिलित करके "उत्तरांचल" नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन में संयम, सहिष्णुता एवं संसदीय परम्पराओं के निर्वहन हेतु श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अपने आसन पर जायं।

(अनेक सदस्य नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन की ओर जाने लगे और मार्शल तथा गार्डों द्वारा रोके जाने पर उनको धक्का देते हुये अध्यक्षासन की ओर बढ़ने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

मैं मद संख्या–9 को स्थगित करता हूं।

मैं निर्देश देता हूं कि जो माननीय सदस्य सदन के वेल में आकर नारे लगा रहे हैं उनके नाम नोट किये जायें। मैं इंगित करके एक-एक को निष्कासित करूंगा।

(नारे लगाये जाते रहने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 3 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(एक सदस्य–जब तक सदन के समक्ष खेद व्यक्त नहीं करेंगे, हम सदन नहीं चलने देंगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मेरा आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्वक चलने दें। मेरा सहयोग करे। नियमावली में हर एक परिस्थिति से निपटने के लिये पर्याप्त साधन हैं। मैं आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं। इसे यूनिवर्सिटी की यूनियन की मीटिंग न समझें। यह प्रदेश का गरिमामय स्थान है इसे आप बहुत हल्के से ले रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, अभी जो बात हमारे, आपके व मुख्यमंत्री जी के बीच हुई उससे हम वाकिफ हैं। मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष–

मैं कहने दूंगा रोक नहीं रहा हूं। मेरा निवेदन है कि सदन की परम्परा है कि कक्ष में हुई बातों का उल्लेख यहां नहीं किया जाता।

श्री धनीराम वर्मा–

मैंने पहले भी कहा कि मैं वह नहीं कहना चाहता लेकिन मैं यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बात हो उसका विषयांतर न किया जाय और सदन में आकर के सदन की भाषा और शिष्टाचार से परे इस तरह की भाषा का प्रयोग न किया जाय जो शिष्टाचार रहित हो। धमकी भरी बात कह देना अच्छी बात नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा हमारे सत्ता पक्ष के एक दो लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सदन के बाद देख लेंगे। यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। हम सब लोग इस मत के हैं कि मुख्यमंत्री जी इस बात के लिये खेद प्रकट करें कि इन्होंने जो धमकी दी है, शिष्टाचार रहित बात कही है, उसे वापस लें। सदन चलाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, मैंने जैसी सूचना दी कि ला एण्ड आर्डर पर चर्चा कल करवा लें नियम 311 में आज पुनः निवेदन किया था आज वही सामने आ गया। हमारे क्षेत्र के तारा सिंह यादव अध्यक्ष भूमि विकास बैंक थे। 12.15 बजे बी० जे० पी० के लोगों ने दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी है। मान्यवर, हमने कभी भी गार्ड की मांग नहीं की। मैं अध्यक्ष रहा लेकिन गार्ड की मांग नहीं की।

श्री अध्यक्ष–

क्या नाम बताया आपने ।

श्री धनीराम वर्मा–

तारा सिंह यादव मान्यवर, मैंने अपने बेटे महेश के लिये गार्ड की मांग नहीं की । आप रिपोर्ट देख लें उस क्षेत्र में महेश से सीधा साधा लड़का और कोई नहीं उसकी बहू भी ब्लाक प्रमुख है, प्रिन्सिपल है की हत्या हो गयी । तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में सबके सामने ऐसी बातें आयेंगी और सबको रोना पड़ेगा ।

(श्री धनीराम वर्मा भावावेश में आ गये और अपनी बात नहीं कह सके)

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

अध्यक्ष जी अभी-अभी माननीय नेता, विरोधी दल ने श्री तारा सिंह की हत्या का प्रकरण यहां उठाया है और उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप भी लगाया है कि बी० जे० पी० के लोगों ने उनकी हत्या की है । चूंकि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है इसलिये टिप्पणी नहीं कर सकता हूं । परन्तु मैं आपके माध्यम से सरकार से जरूर अनुरोध करूंगा कि सारे प्रकरण की जानकारी करके सदन को तथ्यों से अवगत करायें ।

जो आरोप नेता विरोधी दल लगा रहे हैं यह कितना सच है ? मुझे यह लगता है कि राजनीतिक विद्रोह के कारण बी० जे० पी० को बदनाम करने के लिये यह आरोप लगाया गया है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, प्रदेश में किसी की भी हत्या हो किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती हो उसको रोकने के लिये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है । किसी का खून बहे यह संसदीय लोकतंत्र के लिये बहुत खराब बात है । हमारी पूरी कोशिश होगी पार्टी के नाम पर यदि कोई भेदभाव किया जा रहा है, जाति मजहब का भेदभाव है कोई चाहे जिस जाति या धर्म का हो यदि गलत काम हो गया तो उसके साथ सख्ती से कार्यवाही की जाएगी । खासतौर से नेता विरोधी दल ने अपने पुत्र के बारे में चिन्ता व्यक्त की है सरकार उसे प्राथमिकता से लेगी और इस पर गंभीरता से कार्यवाही करेगी । केवल नेता विरोधी दल ही नहीं उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के जानमाल की हिफाजत करना इस सरकार की शीर्ष प्राथमिकता होगी ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेंजे थपथपाई)

श्री अध्यक्ष–

यह गंभीर बात है कल्याण सिंह जी ने जो सरकार से अपेक्षा की है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

इसको दिखवा रहे हैं यथाशीघ्र उसकी सूचना एकत्र कराकर माननीय कल्याण सिंह जी को अवगत करा देंगे जो माननीय सदस्य चाहेंगे उनको भी पूरे तथ्यों से अवगत करा दिया जायेगा ।

श्री कल्याण सिंह–

आरोप नेता विरोधी दल ने बड़ा गंभीर लगा दिया है और मेरा कहना है कि भाजपा को बदनाम करने के लिए राजनीतिक उद्देश्य से यह आरोप लगाया गया है । मैं चाहूंगा कि पूरे तथ्यों की जानकारी करके इस सदन में बताया जाए और सदन को यह भी अवगत कराया जाए कि इसमें किन लोगों का हाथ है ।

श्री धनीराम वर्मा–

आज मैं दुखी हूं कल आपको यह दुख उठाना पड़ेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कल्याण सिंह जी ने अपेक्षा की है कि एक आरोप नेता विरोधी दल ने लगाया, माननीय कल्याण सिंह जी ने कहा कि राजनीतिक दल को बदनाम करना है तो सरकार से हमारी यह अपेक्षा है कि सारी बातों की जानकारी करके, सारे तथ्यों की जानकारी करके सदन में रख दें । दूसरी बात माननीय नेता विरोधी दल ने अपने पुत्र के बारे में कही । तो माननीय नेता विरोधी दल से आप सम्पर्क बनाये रखें और जो यह सूचना दी है इसके आधार पर कार्यवाही करते रहें । नेता विरोधी दल के संतोष के मुताबिक कार्यवाही करते रहें ।

श्री बी० आर० वर्मा–

आपके निर्देश को सरकार शिरोधार्य करेगी । एक चीज कहना चाहूंगा कि जितने नये सदस्य आये हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आपकी अध्यक्ष पीठ से तमाम समय-समय पर जो निर्देश दिये गये हैं, तो संसदीय भाषा क्या है शिष्टाचार क्या है, संसदीय क्या है, असंसदीय क्या है क्या उचित है क्या अनुचित है उसका संग्रह विधान सभा द्वारा प्रकाशित किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग सुनने के लिये तैयार नहीं हैं आप कृपया बैठ जायें । सदन में किसी भी बात का सीधा माननीय सदस्य द्वारा उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री चन्द्र पाल सिंह–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री चन्द्रपाल सिंह–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मेरे समक्ष कोई धमकी नहीं दी गयी है । आप मुझे क्यों लपेट रहे हैं ।

श्री चन्द्र पाल सिंह–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा । कोई भी कार्यवाही का भाग नहीं होगा ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

नोट – [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष–

इस समय व्यवस्था का प्रश्न कहां से हो गया । इस तरह से कार्यवाही में व्यवधान डालने से कई माननीय सदस्य कार्यवाही में भाग लेने से वंचित हो रहे हैं ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, आपके अधिकार को कोई चुनौती नहीं है । हम लोगों से ज्यादा आप विद्वान हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों के लिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम चला था उसमें बहुत से माननीय सदस्य भाग लेने से वंचित रह गये थे । हमारे बहुत से मित्र नये चुनकर आये हैं इस सदन की जो गरिमा रही है उसको बहुत से माननीय सदस्य नहीं समझ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग में भाग नहीं लिया । मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। आपके अधिकार असीमित हैं । इसलिये व्यवस्था चाहता हूं । आप इस आसन पर बैठकर कोई समय निकाल लें इतना कीमती समय जब बरबाद होता है तो उसमें भी आधा, एक, डेढ़ घंटे लगेंगे । सदन में ऐसी व्यवस्था कर दें कि सदन की गरिमा और सदन की परम्परा से सदन में माननीय सदस्यों को अवगत कराया जाये । यहां पर सारे सदस्य मौजूद रहते हैं । मैं किसी का नाम नहीं लूंगा । आज राजनीति एक मोड़ पर खड़ी है । इस प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में पोलिटिकल आदमी रहे हैं लेकिन जो नान पोलिटिकल आदमी मुख्य मंत्री के पद पर हैं, उनको इस सदन की मर्यादा का ज्ञान नहीं है । हम लोग आपको टीचर, अध्यापक, कोच के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि सत्ता पक्ष के लोगों को बतायें कि सत्ता की भूमिका क्या है । विपक्ष की भूमिका क्या है । ऐसे लोग इस सदन में आ गये हैं जो पहले सदन में आये नहीं थे । कभी हाउस में आये ही नहीं हैं इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप स्थान ग्रहण कर लें । किसी भी संसदीय लोकतंत्र में सहिष्णुता सबसे अधिक आवश्यक चीज है और मैं आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही में कभी-कभी उत्तेजना के क्षण आते हैं लेकिन बुद्धिमता तो इसी में है कि उस उत्तेजना के क्षण को बचाकर अपनी बात व्यक्त करने का अवसर तलाश करें । जहां तक मुख्य मंत्री जी के भाषण पर आपत्ति का सवाल है मैंने उस समय भी कहा था कि कोई भी धमकी भरा शब्द कार्यवाही में नहीं आया है । फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रत्येक सदस्य के भाषण को पढ़ता हूं और जहां कोई आपत्तिजनक बात होती है, उसको निकाल देता हूं । माननीय अतीक अहमद ने अभी उल्लेख किया कि यहां प्रबोधन कार्यक्रम चलाने का ! तो हमारे नये सदस्य अधिक जिज्ञासु हैं, प्रबोधन कार्यक्रम में उन्होंने विस्तार पूर्वक बातें सुनी, नोट्स भी बनाये और चाहते भी हैं कि सदन में भागीदारी बनावें लेकिन अनावश्यक रूप से सदन स्थगित होता है तो उनको भी कष्ट होता है और मुझे भी कठोर वाणी बोलनी पड़ती है । मेरा धर्म है सदन चलाना, मैं सभी पार्टियों को समान रूप से संरक्षण देता हूं चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हों सभी समान हैं और यदि सभी पार्टियां मुझे सहयोग देंगी तो कार्यवाही चलती रहेगी । दो मिनट के लिये वेल में आ गये और निवेदन कर लिया फिर वापस चले गये, यह एक खेल भावना से होना चाहिए । गम्भीर बातों की चर्चा के लिए सदन को माध्यम बना लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी । अब अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं अगली मद ले लूं ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

पहले अवधेश प्रसाद जी को सुन लूं, उसके बाद आपको सुन लूंगा ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, आदरणीय सदन में जो क्षण आया, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यह सदन महान है, सरकारें आयेंगी, सरकारें जायेंगी लेकिन यह चेयर रहेगा। यह चेयर ऐसा चेयर है जिस चेयर पर पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जैसे महापुरुष, चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति और हिन्दुस्तान के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी बैठ चुके हैं। जहां तक सदन की अवमानना के आचरण का सवाल है, वह नेता सदन की तरफ से इस तरह का आचरण हुआ है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि उनको बुलाकर के कम से कम खेद मंगवायें। क्योंकि सदन का अपमान हुआ है।

(श्री अवधेश प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अवधेश प्रसाद जी आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, पार्टी की मीटिंग में विधायकों को जमीन पर बिठायें या सर पर बिठावें, जहां तक सदन की बात है, यह आपकी चेयर का अपमान है क्योंकि आपके सामने धमकी दिया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब इस पूरे प्रकरण पर एक व्यवस्था दे दी कि जो बातें आपत्तिजनक होगी उसको निकाल देंगे उसके बाद किस विषय पर और किन नियमों के अन्तर्गत आप माननीय अवधेश प्रसाद जी और माननीय पाल जी को सुन रहे हैं। जब आपकी व्यवस्था आ गयी तो उस पर नहीं बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

जितनी अव्यवस्था का अंश है, वह मैं निकाल दूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो अभी यह प्रस्ताव आया है उसमें मूल प्रस्ताव मेरा था और मेरे प्रस्ताव के पीछे कदाचित मेरी भावना सारे सदस्यों की भावना की अभिव्यक्ति करती है.....

श्री अध्यक्ष–

वह विषय समाप्त हो गया है। अब आप बैठ जाएं।

श्री जगदम्बिका पाल–

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा। आप बैठ जाएं।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो श्री अवधेश प्रसाद जी ने कहा है, उसके संबंध में मैं अनुरोध करूंगा कि नेता सदन के किसी आचरण से, उनकी किसी बात से सदन की गरिमा को ठेस नहीं लगी है बल्कि उससे सदन की गरिमा बढ़ी है। (व्यवधान) श्री अवधेश प्रसाद जी ने जो कहा है उसका मैं घोर विरोध करता हूं और सदन की गरिमा का मैं हमेशा ध्यान रखता हूं।

नोट – [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया आप लोग बैठ जाएं (व्यवधान) आप लोग शांत रहें। मैं सदन का निर्देश चाहता हूं कि अभी सदन को स्थगित करने के पहले मैंने कहा था कि चूकि जैसा माहौल है उसमें मद संख्या–9 महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा को आज के लिये स्थगित करता हूं। अब मैं सदन का निर्देश चाहता हूं और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि सदन सहमत हो तो मद संख्या–9 महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर ली जाए, इस पर पुनर्विचार कर लें अन्यथा मद संख्या–10 लूं।

(सदन ने सर्वसम्मति से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कराने पर सहमति प्रकट की)

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

सर्वप्रथम नेता सदन यहां आकर खेद प्रकट करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब उस विषय को समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप चर्चा का माहौल बनाने में मदद कीजिये। आप वही पुरानी बातों को शुरू कर रहे हैं। कृपया आप आगे भी कार्यवाही चलने दीजिये। मैं सदन की आम भावनाओं से अवगत हो गया हूं। माननीय नेता विरोधी दल ने कल अपना भाषण किया था। आज मैं माननीय कल्याण सिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आज मैं तैयार नहीं हूं, इसलिये आज नहीं बोलना चाहता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कांग्रेस दल के नेता नहीं हैं।

श्री हरि शंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं अपने दल की तरफ से बोलना चाहता हूं।

सदन में अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले कतिपय सदस्यों के तीन उपवेशनों के लिए निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, तिवारी जी, प्रारम्भ करें।

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, पहले माननीय मुख्य मंत्री द्वारा खेद प्रकट करवा दीजिये, तब कार्यवाही चलेगी।

श्री राम औतार शाक्य–

[× × ×]

---

† दिनांक 23-4-97 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

नोट – [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग यदि तय कर लिये हैं कि कार्यवाही नहीं चलने देंगे तो अलग बात है। मैंने तिवारी जी को बुला लिया है। आप लोग बैठ जायें। शाक्य जी आप तो तीन-तीन बार चुनकर आये हैं, मैं सुनने वाला नहीं हूं। शाक्य जी जो कुछ कह रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने, नारे लगाने तथा डायस पर चढ़ने का प्रयास करने पर– घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं नियमावली के नियम 299 की ओर नहीं जाना चाहता।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, जिस माहौल में धमकी देकर सदन चलाने की बात की जा रही है, जिसे आपने भी स्वीकार किया, ऐसी स्थिति मे यह सदन चलने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री यहां आकर खेद प्रकट करें, अन्यथा सदन नहीं चलेगा।

(इसके बाद समाजवादी पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(वेल में आये हुए समाजवादी पार्टी के विधायक नारे लगाते रहे जिससे सदन में लगातर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने आसन पर वापस जायं।

(वेल में आये हुए कुछ विधायक नारे लगाते हुए जबरदस्ती अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने के प्रयास में विधान सभा रक्षकों से धक्का मुक्की करने लगे तथा कुछ विधायक रिपोर्टर्स टेबिल पर भी चढ़ आये)

यह उचित नहीं है।

मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299 के उप नियम 3 के अन्तर्गत ये सदस्य जिनका व्यवहार मेरी राय में अव्यवस्थापूर्ण है और मेरे प्रति अवज्ञापूर्ण है इसलिये मैं उन्हें निर्देश दे रहा हूं कि वे तत्काल सदन से बाहर चले जायं। ये सदस्य हैं सर्वश्री अब्दुल कलाम, सुधाकर सिंह, श्याम किशोर यादव, उदयराज यादव, रिफाकत हुसैन चौधरी, अशोक कुमार सिंह, मूल चन्द्र चौहान, भीम प्रसाद सोनकर, रामेश्वर दयाल , चन्द्रपाल सिंह, राजाराम, शरद वीर सिंह, विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित, श्रीमती उर्मिला यादव, श्रीमती सुखदेवी वर्मा, श्रीमती विजमा यादव, श्रीमती ओमवती सिंह, ओम प्रकाश सिंह, राम विशुन आजाद, उबेदुर्रहमान, मुश्ताक सोलंकी, दीपक कुमार, गोपाल कृष्ण सक्सेना, राम पाल सिंह, अम्बिका चौधरी व ओम प्रकाश गुप्ता।

मैंने जिन माननीय सदस्यों के नाम लिये हैं, मैं फिर से उनसे कह रहा हूं कि मेरी राय में आपका व्यवहार अव्यवस्थापूर्ण है आप इस पीठ के प्रति अवज्ञापूर्ण हैं। अतः आपको मैं सदन के बाहर जाने का निर्देश दे रहा हूं। आप लोग सदन के बाहर चले जायं अन्यथा प्रस्ताव पास होने पर शेष उपवेशनों के लिए अनुपस्थित माने जायेंगे। कृपया सदन के बाहर चले जायं।

(कुछ सदस्य लगातार अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहे तथा नारे लगाकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य रिपोर्टर्स एवं कार्यवृत्त लेखक की मेज पर चढ़कर नारे बाजी करते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं इन माननीय सदस्यों एवं नेता विरोधी दल श्री धनीराम वर्मा सहित सभी को इंगित करता हूं।

संसदीय कार्य एवं पर्यावरण मंत्री (श्री बी० आर० वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299 के उप नियम 3 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव करता हूं कि सर्वश्री अब्दुल कलाम, सुधाकर , श्याम किशोर यादव, उदयराज यादव, रिफाकत हुसैन चौधरी, अशोक कुमार सिंह, मूल चन्द्र चौहान, भीम प्रसाद सोनकर, रामेश्वर दयाल, चन्द्रपाल सिंह, राजाराम, शरद वीर सिंह, विनोद कुमार सिंह उर्फ पडित, श्रीमती उर्मिला यादव, श्रीमती सुखदेवी वर्मा, श्रीमती विजमा यादव, श्रीमती ओमवती सिंह, ओम प्रकाश सिंह, राम विशुन आजाद, उबेदुर्रहमान, मुश्ताक सोलंकी, दीपक कुमार, गोपाल कृष्ण सक्सेना, राम पाल सिंह, अम्बिका चौधरी व ओम प्रकाश गुप्ता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल स्वयं नारे लगाते हुए लोगों को उकसा रहे हैं।

मानीनय नेता विरोधी दल का नाम भी इसमें सम्मिलित करें।

श्री बी० आर० वर्मा–

श्री धनी राम वर्मा को सदन की सेवा से शेष उपवेशन के लिए निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय नेता विरोधी दल सहित माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जिनके निलम्बन का प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मैं 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित करता हूं। मार्शल, ऐसे माननीय सदस्यों को सदन के प्रांगण से बाहर कर दिया जाय और आवश्यकता पड़े तो उसके लिये आवश्यक बल का भी प्रयोग किया जाय।

(मार्शल ने आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए निलम्बित सदस्यों को सदन से बाहर किया। 3 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(4 बजकर 5 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 40 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 4 बजकर 40 मिनट पर मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 5 बजे तक के लिये और बढ़ा दिया है। 5 बजे मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने आज की कार्यसूची की मद संख्या 10 और 11 कल के लिए स्थगित कर दिया है। मद संख्या 12 और मद संख्या 13 निरस्त की और सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है।)

इसके बाद सदन 5 बजे शुक्रवार, 25-4-97 अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

लखनऊ।
दिनांक 24 अप्रैल, 1997

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी०–एल० 69 विधान सभा (162)-1997-813 (डी० टी० पी०)।